सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2021-22

श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री

का

बजट भाषण

24 फरवरी, 2021

माघ शुक्ल १२, विक्रम संवत् २०७७

बजट 2021 - 22

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं, राज्य के वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश में पहली बार **पेपरलैस बजट** प्रस्तुत किया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक कदम है।

2. बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला तैयार करता है। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार होती है। हमारी सोच है कि प्रदेश के किसान भाइयों, व्यापारियों–उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, वंचित वर्गों आदि सभी तबकों को साथ लेकर हम प्रदेशवासियों के जीवन को खुशहाल बना सकें।

कोरोना प्रबंधन :

3. आज जब मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख आने वाले वर्ष की वित्तीय कार्ययोजना रखने को उपस्थित हुआ हूँ, तब मुझे सबसे पहले यह ध्यान आ रहा है कि किस तरह कोविड–19 महामारी ने प्रदेश ही नहीं, बल्कि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। इस बजट को बनाते वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि इन मुश्किल आर्थिक हालात के बावजूद भी, प्रदेश के विकास के लिए संसाधनों की कमी ना रहे। हम यह संकल्प ले रहे हैं कि दूरगामी सोच के साथ, आर्थिक संसाधन जुटाये जाने के अभिनव प्रयास किये जायेंगे और हमेशा की तरह, इस चुनौती को भी एक अवसर में बदलेंगे। स्वतंत्रता सेनानी **श्री रामप्रसाद बिस्मिल** के शब्दों में–

'पलट देते हैं हम मौजे–हवादिस अपनी जुर्रत से,
कि हमने आँधियों में भी चिराग अक्सर जलाये हैं।'

http://finance.rajasthan.gov.in/

4. पिछला एक साल हम सबके लिए बहुत कठिन रहा है। अपने सार्वजनिक जीवन में इससे मुश्किल दौर शायद ही हमने कभी देखा हो। हमारे द्वारा राज्य में कोरोना की शुरूआत से ही निरंतर मॉनीटरिंग—माईक्रोप्लानिंग पर जोर दिया गया और **'राजस्थान सतर्क है'** की पहल के साथ कोविड–19 महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशल प्रबंधन किया गया, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई है। हमारे **भीलवाड़ा एवं रामगंज मॉडल** को देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया।

5. मैंने स्वयं Video Conferencing के माध्यम से राजनीतिक दलों, विधायकगणों, धर्मगुरुओं, उद्योगपतियों, NGOs, चिकित्साकर्मियों, मीडिया बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों आदि सहित सभी Stakeholders से 109 बार निरंतर संवाद किया तथा किसी भी स्तर पर कोई कमी ना रह जाये, इसके लिए संबंधित विभागों के साथ 210 से अधिक कोविड–समीक्षा बैठकें की। इस बेहतरीन प्रबंधन के चलते, कोरोना नियंत्रण से संबंधित सभी मानकों में राजस्थान **देश में अग्रणी** रहा है। इस आपदा को अवसर में बदलते हुए हमने प्रदेश में health infrastructure को मजबूत किया है। राज्य के सभी जिलों में कोविड की RTPCR जांच सुविधा विकसित करते हुए, जांच क्षमता शून्य से बढ़ाकर 70 हजार प्रतिदिन की गयी। इसके साथ ही, मानव धर्म निभाते हुए इस संकट काल में हमारा संकल्प था कि **'कोई भूखा न सोये'**। प्रदेशवासियों के सहयोग से हम इसे पूरा करने में सफल रहे। हमने Post Covid Management पर भी पूरा फोकस किया है। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि अब हम टीकाकरण अभियान में भी पूरी तैयारी और तत्परता से अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना कम हुआ है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है।

अतः मेरा समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना अवश्य करें।

6. यद्यपि अब कोरोना महामारी का प्रभाव कम हुआ है परन्तु समाज के हर तबके ने कोरोना की मार सही है। थड़ी–ठेले लगाने वालों व छोटे व्यापारियों का कामकाज प्रभावित हुआ, गरीब एवं असहाय लोगों की रोजी–रोटी पर संकट आया, बच्चे स्कूल नहीं जा पाये। इसके बावजूद भी हर प्रदेशवासी ने धैर्य एवं सहयोग का परिचय दिया। आमजन की इस पीड़ा को अनुभव करते हुए मैं, एक **विशेष कोविड पैकेज** की घोषणा करता हूँ–

- हमने इस महामारी काल में 33 लाख असहाय, निराश्रित (Destitute) व मजदूर परिवारों को 3 हजार 500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 1 हजार 155 करोड़ रुपये की, DBT के माध्यम से सहायता प्रदान की है। अब मैं, आगामी वर्ष में इन परिवारों को अंतिम किस्त के रूप में एक–एक हजार रुपये की और सहायता राशि दो बार में देने की घोषणा करता हूँ।
- मैं, शहरी क्षेत्र के street vendors एवं service sector के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए **इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना** शुरू करने की घोषणा करता हूँ। योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।
- लघु उद्योगों को संबल देने के लिए **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना** का दायरा बढ़ाते हुए, आगामी वर्ष में 10

हजार नये लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी दिया जाना प्रस्तावित है।

— प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, केवल Project Appraisal के आधार पर बिना किसी शर्त के Seed Money के रूप में 5 लाख रुपये प्रति स्टार्टअप सहायता राशि दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

— कोरोना महामारी के कारण छात्र–छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हुई, जिससे यह वर्ष लगभग Zero Year हो गया है। विद्यार्थियों के Learning अन्तराल को पूर्ण करने, Learning standards के अनुरूप शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने तथा class room के प्रति सहज अनुभव करवाने के लिए **Back to School** कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। मैं, आगामी वर्ष में प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को **निःशुल्क school uniform** तथा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रमानुसार पूरक पाठ्य–पुस्तकें **निःशुल्क** दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इन पर लगभग 470 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

— महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में सहरिया, कथौड़ी जनजाति व राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को भी आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 दिवस के स्थान पर **200 दिवस का रोजगार** उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

7. कोरोना की इस कठिन परीक्षा की घड़ी के दौरान सभी प्रदेशवासियों ने जो अभूतपूर्व साहस, संयम, सहयोग और जिम्मेदारी दिखाई है उसके लिए मैं, आज इस पूरे सदन की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

8. जैसा कहा गया है–

'उद्यमेन हि सिद्धयन्ति, कार्याणि न मनोरथैः'

अर्थात् कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, मन में सोचने से नहीं। इसी भावना के साथ, हमारी सरकार ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं रखी, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। हमारी सरकार का मुख्य ध्येय **जनकल्याण ही प्रतिबद्धता, जनकल्याण ही प्राथमिकता** रहा है। इसी का सुफल है कि हमने 2 साल में ही **जनघोषणा** के आधे से अधिक वादों को पूरा किया है। अब हमारा प्रयास है कि विकास की इस गति को और बढ़ायें तथा जनता से किये गये वादों को पूरा कर, प्रदेश को सुशासन के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं :

9. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सबको विदित है कि **'पहला सुख निरोगी काया'** की अवधारणा पर काम करते हुए हमारी सरकार का पिछले दोनों व वर्तमान कार्यकाल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहा है। हमारे द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान अभियान, नये मेडिकल कॉलेज व कोविड–प्रबंधन इत्यादि की सभी ने प्रशंसा की है। अब समय आ गया है कि हमारे द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में किये गये कामों एवं नवाचारों को हम और आगे ले जायें। इसी कड़ी में, अब राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में देश में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए

'Rajasthan Model of Public Health' (RMPH) लागू किया जायेगा। इस मॉडल को प्रभावी बनाये जाने तथा सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से **Right to Health Bill** भी लाया जा रहा है। यह मॉडल जन–जन के लिए उच्चतम स्तर के स्वास्थ्य मानदण्डों को प्राप्त करने का, देशभर में एक अनूठा उदाहरण पेश करेगा। इस मॉडल के माध्यम से Preventive Care, Primary Care व Curative Care को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की भावना के अनुरूप लागू करने के लिए हम प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं।

10. अध्यक्ष महोदय, सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी वर्ष से हम 3 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से, देश में पहली बार हमारे प्रदेश में **'Universal Health Coverage'** लागू करेंगे। इसके मायने हैं कि राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रकार, **आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना** के NFSA एवं SECC परिवारों के साथ–साथ समस्त संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि पर (अर्थात् लगभग 850 रुपये वार्षिक खर्च पर) सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों में cashless इलाज हेतु 5 लाख रुपये तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

11. **जैसाकि आपको विदित है, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसके करीब–करीब प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जा रहे हैं।** वर्तमान में प्रदेश के 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मैं, **शेष 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से**

नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूँ। प्रथम चरण में, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली व सीकर जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जायेंगे।

12. Public Health के महत्त्व को देखते हुए भविष्य में इस पर फोकस देने के लिए मैं, सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से **Public Health College** की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ।

13. मैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए Hub and Spoke Model अपनाकर जांचों की संख्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) में 15 से बढ़ाकर 61, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) में 37 से बढ़ाकर 95, उपजिला अस्पताल (Sub District Hospital) में 56 से बढ़ाकर 109 एवं जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 133 करने की घोषणा करता हूँ।

14. **निरोगी राजस्थान** की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए राज्य के चिकित्सालयों में विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

- **महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा** में 71 करोड़ रुपये की लागत से 205 बेड क्षमता का व **श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर** में 90 करोड़ रुपये की लागत से 300 बेड क्षमता के नवीन चिकित्सालय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।
- **आरबीएम चिकित्सालय, भरतपुर** में 87 करोड़ रुपये की लागत से 250 बेड क्षमता के नवीन चिकित्सालय का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, भरतपुर में सुपर

स्पेशियलिटी—न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी व कार्डियोलॉजी विभाग भी प्रारंभ किये जायेंगे।

- **जिला चिकित्सालय, पाली** में 145 करोड़ रुपये की लागत से 380 बेड क्षमता, **जिला चिकित्सालय, चूरू** में 129 करोड़ रुपये की लागत से 370 बेड क्षमता व **जिला चिकित्सालय, बाड़मेर** में 126 करोड़ रुपये की लागत से 360 बेड क्षमता के चिकित्सालय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।
- **मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर** में 17 करोड़ रुपये की लागत से नवीन डायग्नोस्टिक विंग का निर्माण करवाया जायेगा।
- जयपुर के **गणगौरी बाजार अस्पताल** में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

15. अजमेर शहर के मध्य स्थित मेडिकल कॉलेज को कायड़ में स्थानान्तरित किया जायेगा, जिससे जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के विस्तार हेतु भूमि भी उपलब्ध हो सकेगी। इसके निर्माण में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

16. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं, घोषणा करता हूँ कि—

- बालेरा, दुदाबेरी—बाड़मेर, धींगपुर (दांतारामगढ़)—सीकर, भाखरानी—जैसलमेर, सीनेर, डंडोली (सिवाना)—बाड़मेर, कसेड, दौलतपुरा (सपोटरा), बींजवाड़िया (तिंवरी)—जोधपुर, कटोरी (हिण्डौन)—करौली, इंदावड़ तथा मोकलपुर (मेड़ता)—नागौर

सहित राज्य में 30 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) खोले जायेंगे।

- गुढ़ा कटला (बांदीकुई), बालाहेड़ी (महुआ)–दौसा, टमकोर (मण्डावा)–झुंझुनूं, गोगामेड़ी–हनुमानगढ़, मिर्जेवाला 17जेड (सादुलशहर)–श्रीगंगानगर, खो–नागोरियान (बगरू)–जयपुर, लांगरा (सपोटरा), शेरपुर–करौली, अलावड़ा (रामगढ़)–अलवर, कैमरी (टोडाभीम), छोंकरवाड़ा, पहाड़ी (कामां)–भरतपुर, जावाल–सिरोही, पादरू (सिवाना)–बाड़मेर, पांचौड़ी (खिंवसर)–नागौर, नैनवां–बूंदी, खिरनी–सवाई माधोपुर, मरैना (राजाखेड़ा)–धौलपुर, बनेठा (उनियारा)–टोंक, जावदा (रावतभाटा)–चित्तौड़गढ़, सम–जैसलमेर, मादड़ी (झाड़ोल)–उदयपुर, हतुण्डी (ओसियां), पीलवा (लोहावट)–जोधपुर तथा चाणौद (सुमेरपुर)–पाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित प्रदेश के 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- बैजूपाड़ा–दौसा व रानोली (दांतारामगढ़)–सीकर में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मथानिया को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा व सांगानेर–जयपुर में नवीन सेटेलाइट अस्पताल बनाया जायेगा।
- शाहपुरा–जयपुर, फतेहपुर–सीकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

- शाहपुरा–भीलवाड़ा, नोखा–बीकानेर, हिण्डौन–करौली, सागवाड़ा–डूंगरपुर, सवाई माधोपुर शहर (CHC), नीमकाथाना–सीकर, शिवगंज–सिरोही, बालोतरा–बाड़मेर व प्रतापनगर–जोधपुर के चिकित्सा संस्थानों को **जिला अस्पताल** में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- कुचामन सिटी, लाडनूं–नागौर, उदयपुरवाटी–झुंझुनूं, हलैना–भरतपुर, मनियां (राजाखेड़ा)–धौलपुर व कोलायत–बीकानेर सहित 10 नवीन ट्रोमा सेन्टर खोले जायेंगे।
- 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु लगभग 206 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में रोगी भार कम किये जाने के लिए कोटा में 150 बेड क्षमता के नवीन जिला चिकित्सालय की स्थापना व जोधपुर में मण्डोर अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 1 हजार बेड्स की वृद्धि की जायेगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 11 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप–स्वास्थ्य केन्द्रों को **health and wellness centre** के रूप में विकसित कर 12 प्रकार की विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवायी जायेंगी। इसके लिए 11 हजार से अधिक Community Health Officers (CHO) की भर्ती की जा रही है।

– एक हजार आयुर्वेद औषधालयों को health and wellness centre के रूप में विकसित किया जायेगा।

– अजमेर में **राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र** की स्थापना की जायेगी।

17. मैं, माननीय विधायकगणों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने विधायक कोष से 2 वर्ष के लिए एक–एक करोड़ रुपये की राशि Health Infrastructure को मजबूत करने हेतु खर्च करने की सहमति दी। हमने 'मॉडल CHC' की रूपरेखा तैयार कर ली है। हम चाहेंगे कि माननीय विधायकगण अपने–अपने क्षेत्रों में एक CHC का चयन करें, जिसमें सुविधाओं का विस्तार कर **'मॉडल CHC'** बनायी जा सके।

18. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी एवं रुमेटोलॉजी विभाग, बच्चों में यूरीनरी संबंधी उपचार के लिए पिडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग की स्थापना की जायेगी। साथ ही, इसमें 500 बेड क्षमता के एवं मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में 650 बेड क्षमता के नवीन पीजी छात्रावासों का 102 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।

19. जिला अस्पताल, पावटा–जोधपुर की बेड क्षमता को 150 से बढ़ाकर 300 किया जायेगा तथा आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु 25 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

20. कोविड जैसी महामारी एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम व उपचार हेतु क्रिटिकल केयर को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेज–अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर व उदयपुर में 50–50 बेड क्षमता के नवीन ICU एवं 20–20 बेड क्षमता के NICU विकसित किये जायेंगे। इसी प्रकार, जिला

चिकित्सालय भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, चूरू, डूंगरपुर, बाड़मेर व सीकर में भी 30—30 बेड के ICU विकसित किये जायेंगे।

21. कोविड महामारी के अनुभव को देखते हुए एक ही छत के नीचे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डिप्थीरिया, दिमागी बुखार, स्वाइन फ्लू, कोविड इत्यादि बीमारियों की जांच, उपचार एवं रिसर्च के लिए जयपुर में **Institute of Tropical Medicine and Virology** की स्थापना करना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, जयपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय स्तर के **Institute of Cardiology** की भी स्थापना की जायेगी।

22. SMS Medical College, Jaipur में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हिपेटो पेनक्रियटो बिलेरी सर्जरी विभाग, गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी एवं रुमेटोलॉजी विभाग, बच्चों में यूरीनरी संबंधी उपचार के लिए पिडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग एवं यूरीनरी कैंसर रोगियों के लिए यूरोओंकोलॉजी डिविजन की स्थापना की जायेगी। इसी क्रम में, चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु SMS Medical College, Jaipur में—

- अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) कार्यक्रम के अंतर्गत हार्ट लंग प्रत्यारोपण की सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।
- श्वांस नली में रुकावट (tracheal stenosis) इत्यादि के उपचार के लिए ईएनटी विभाग में CO_2 लेजर मशीन स्थापित की जायेगी।
- ब्रैन स्ट्रोक रोगियों के बेहतर उपचार के लिए Neurovascular Angiography Lab की स्थापना PPP Mode पर की जायेगी।

23. राज्य में बच्चों व गर्भवती महिलाओं को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैं, उम्मेद अस्पताल परिसर, जोधपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय स्तर के **'Umaid Post Graduate Institute of Maternity and Neonatology'** की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, पश्चिमी राजस्थान में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जोधपुर में **'Regional Cancer Institute'** की स्थापना भी की जायेगी, जिसमें Radiotherapy, Surgical Oncology व Medical Oncology की सुविधायें विकसित करने हेतु 30 करोड़ रुपये का व्यय करना प्रस्तावित है।

24. राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में जीवन–रक्षक उपकरणों से युक्त 22 Advance Life Support (ALS) क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर तथा झालावाड़ में लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से ट्रोमा सेन्टर विकसित किये जायेंगे।

25. राज्य के 58 ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालय चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किये जायेंगे।

26. परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए हमने राज्य में पहली बार **राजस्थान आयुष नीति–2021** लागू की है। अब उसको मैं आगे बढ़ाते हुए जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा व सीकर में **आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी** के एकीकृत महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, उदयपुर व जोधपुर में **Yog and Naturopathy** के कॉलेज खोले जायेंगे। इन सभी कॉलेजों में पंचकर्म की सुविधायें भी विकसित की जायेंगी।

27. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के साथ **'International Centre of Excellence in Panchkarm'** बनाया जायेगा व विश्वविद्यालय रसायनशाला का विस्तार एवं Drug Testing Lab की स्थापना की जायेगी। इन पर कुल 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

28. राज्य के पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों पर आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के Medi-Tourism Centres की PPP mode पर चरणबद्ध रूप से स्थापना की जायेगी।

29. विशेषज्ञ चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त जिला चिकित्सालयों में 8 विशिष्टताओं में Post MBBS Diploma Courses प्रारंभ किये जायेंगे। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष 400 अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।

30. प्रदेश में दूरस्थ स्थानों पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों का अलग कैडर बनाया जायेगा। साथ ही, चिकित्सकों के अमूल्य समय का सदुपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं जिला चिकित्सालयों के लिए **Hospital Management Cadre** का गठन भी किया जाना प्रस्तावित है।

31. प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा **'शुद्ध के लिए युद्ध'** अभियान चलाया गया था। आमजन की सेहत से खिलवाड़ न हो तथा यह अभियान होली–दिवाली

तक ही सीमित ना रहे, इसके लिए अभियान की निरंतरता आवश्यक है। इस अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए **'Directorate of Food Safety'** बनाये जाने की घोषणा करता हूँ।

32. आगामी वर्ष में Silicosis Prevention and Research के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा। सिलिकोसिस बीमारी का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही, पीड़ितों एवं उनके परिवारों को सहायता राशि Auto Approval के माध्यम से Direct Transfer (DBT) की जायेगी।

सड़क सुरक्षा :

33. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 10 हजार से अधिक व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु होना चिंता का विषय है। इन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सके इसके लिए मैंने, पिछले बजट में तमिलनाडु की तर्ज पर एक रोडमैप तैयार करने की घोषणा की थी। उसी क्रम में–

– **'जीवन रक्षक योजना'** (JRY) का गठन कर गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे।
– घायल व्यक्ति का, बिना किसी पहचान एवं पात्रता के, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, प्रदेश के निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज करना सुनिश्चित किया जायेगा।

- राज्य के राजमार्गों एवं मुख्य सड़कों पर Over speed एवं Over load वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए PPP mode पर **Integrated Traffic Management System (ITMS)** विकसित किया जायेगा।
- भारी वाहन चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व अधिकृत ड्राईविंग ट्रेनिंग संस्थान में स्थापित क्लिनिक से मेडिकल जांच एवं 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवायी जायेगी। इसके लिए नियम अधिसूचित कर इसको प्रभावी बनाया जायेगा।
- वर्ष 2020–21 में 40 CHC को Primary Trauma Centre के रूप विकसित किये जाने की घोषणा की गयी थी। इसी क्रम में आगामी वर्ष में, 40 अन्य CHC को चिन्हित कर Primary Trauma Centre की सुविधा विकसित की जायेगी।

इन सबके लिए मैं, आगामी वर्ष **समर्पित सड़क सुरक्षा कोष** में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

34. प्रदेश में सुमेरपुर–पाली, पोकरण–जैसलमेर व सादुलशहर–श्रीगंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय तथा रावतभाटा–चित्तौड़गढ़, जैतारण–पाली व कुचामनसिटी–नागौर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जायेंगे।

शिक्षा :

35. कोविड–19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में डिजिटल शिक्षा एवं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा का महत्व बढ़ गया है। इसलिए आगामी वर्ष में, समस्त राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं कस्तूरबा

गांधी आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट टीवी एवं सेटटॉप बॉक्स उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 82 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।

36. विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण हेतु internet connection facility उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, online learning के लिए प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की लाईब्रेरी में फ्री wi-fi की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

37. **English Medium** के राजकीय विद्यालयों की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, 5 हजार से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों एवं कस्बों में अगले 2 वर्षों में **English Medium** के लगभग 1 हजार 200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे। साथ ही, अभिनव पहल के रूप में जिला मुख्यालयों पर स्थित 33 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक (Pre-Primary) कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।

38. कृषि संकाय की मांग एवं विद्यार्थियों को कृषि, उद्यानिकी एवं कृषि–वानिकी के क्षेत्र में अध्ययन के विकल्प प्रदान करने के लिए विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयों में **कृषि संकाय** खोले जायेंगे।

39. राजकीय विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से बुनियादी सुविधायें विकसित करने हेतु 3 हजार 500 से अधिक class rooms, laboratories, पुस्तकालय, आर्ट एवं क्राफ्ट, कम्प्यूटर रूम आदि का निर्माण, 15 नवीन भवनों का निर्माण एवं 70 विद्यालयों में वृहद् मरम्मत इत्यादि कार्य करवाये जायेंगे। इन पर 450 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

40. स्थानीय विद्यालयों की देखरेख में संचालित 37 हजार 400 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा English Medium के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में Pre-Primary के बच्चों के लिए 225 करोड़ रुपये की लागत से Child Friendly Furniture उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

41. प्रदेश में 50 राजकीय विद्यालय खोले जायेंगे एवं 100 राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।

42. जैसाकि आपको विदित है कि हमने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में **शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ (Peace and Non-Violence Cell)** का गठन किया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी के सिद्धान्त, आदर्श और दर्शन की पहले से ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है। इसलिए मैं, **शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ** को अपग्रेड कर **'शांति एवं अहिंसा निदेशालय'** के स्थापना की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत–

– महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को जन–जन तक पहुँचाने तथा जन सामान्य में पढ़ने की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के माध्यम से वर्तमान में संचालित 8 हजार 870 पुस्तकालयों को बढ़ाकर 14 हजार 970 किया जायेगा।

– विद्यार्थियों में गांधीजी के विचारों एवं मूल्यों के प्रसार हेतु **सर्वोदय विचार परीक्षा** का आयोजन, इस कार्य को करने वाले NGO से समन्वय कर किया जायेगा। अब भविष्य में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति व अन्य Merit आधारित प्रोत्साहन हेतु छात्र–छात्राओं को यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

43. वर्ष 2019–20 में हमने **महात्मा गांधी संस्थान** तथा **गांधी दर्शन म्यूजियम** बनाये जाने की घोषणा की थी। इसकी प्रारंभिक तैयारी पूर्ण की जा चुकी है तथा शीघ्र ही इसका कार्य Central Park, Jaipur में स्थित राजकीय भूमि पर प्रारंभ किया जायेगा। इसकी कार्ययोजना को और वृहद् करते हुए इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, इसी परिसर में युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षा को आत्मसात करते हुए Governance तथा सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से TISS (Tata Institute of Social Sciences) व MIT (Maharashtra Institute of Technology-School of Governance, Pune) की तर्ज पर **महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज (Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences-MGIGSS)** स्थापित किये जाने की घोषणा करता हूँ।

44. वर्तमान में प्रदेश के 9 शैक्षिक संभागों में से 3 संभागों–बीकानेर, उदयपुर एवं जयपुर में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2021–22 में शेष सभी शैक्षिक संभागों–कोटा, अजमेर, जोधपुर, पाली, चूरू एवं भरतपुर में विशेष योग्यजन वाले आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।

45. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूक–बधिरों को समुचित अवसर प्रदान करने के लिए मैं, गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, माता का थान–जोधपुर एवं पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों हेतु दो नवीन महाविद्यालय बनाने की घोषणा करता हूँ।

46. **राजा रामदेव पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर** को अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित किया जाकर शिक्षा के क्षेत्र में Centre of Excellence के रूप में स्थापित किया जायेगा।

47. तकनीकी शिक्षा को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए मैं, जोधपुर में 400 करोड़ रुपये की लागत से **Fintech Digital University** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। जिसमें School of Computer Science and IT, Finance and Accounting, Data Analytics व Analytical Mathematics की स्थापना की जायेगी। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के Collaboration से विभिन्न latest technology आधारित courses उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही, जयपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से **Rajasthan Institute of Advanced Learning** की Deemed University के रूप में स्थापना की जायेगी।

48. उच्च शिक्षा का व्यापक स्तर पर वातावरण तैयार किये जाने हेतु राज्य में **नवीन महाविद्यालयों** की स्थापना की जायेगी। इसके अंतर्गत–

- पीपाड़–जोधपुर, फतेहगढ़–जैसलमेर, साहवा–चूरू, खण्डेला–सीकर, कुचेरा–नागौर, मण्डावर–दौसा, उदयपुरवाटी–झुंझुनूं, कल्याणपुर–बाड़मेर, मनियां (राजाखेड़ा)–धौलपुर व चिखली–डूंगरपुर में नवीन महाविद्यालय खोले जायेंगे।
- रामगढ़ पचवारा (लालसोट)–दौसा, दूनी–टोंक, टोडाभीम, हिण्डौन सिटी–करौली, बाड़ी–धौलपुर, मेड़ता सिटी, लाडनूं–नागौर, तख्तगढ़–पाली, दांतारामगढ़–सीकर, नोहर–हनुमानगढ़, श्रीडूंगरगढ़–बीकानेर, सरदारशहर–चूरू, सूरसागर–जोधपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

– पिलानी–झुंझुनूं, मण्डोर–जोधपुर, उच्चैन–भरतपुर व नावां–नागौर में नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

49. हम सभी को दुख है कि हमारे चार साथी हमारे बीच नहीं रहे। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए कुंवारिया–राजसमंद में किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीण्डर–उदयपुर में गजेन्द्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़–चूरू में मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय व गंगापुर–भीलवाड़ा में कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा करता हूँ।

50. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने एवं कौशल विकास की दृष्टि से परबतसर–नागौर, समदड़ी (सिवाना)–बाड़मेर, बौंली (बामनवास)–सवाई माधोपुर व भोपालगढ़–जोधपुर में आईटीआई खोले जायेंगे।

51. निम्बार्क तीर्थ–अजमेर, सुल्तानिया, विमलपुरा (फागी), जोधराला (जमवारामगढ़)–जयपुर, पावटा (महुवा)–दौसा, टोडाभीम–करौली, दलोट–प्रतापगढ़ व शिवाजी नगर (किशनगढ़)–अजमेर के संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा। संस्कृत विद्यालय सैदपुरा (नदबई)–भरतपुर में संस्कृत महाविद्यालय बनाया जायेगा। साथ ही, बांसवाड़ा में 25 करोड़ रुपये की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना प्रस्तावित है।

52. विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए राज्य में 9 शैक्षिक संभाग स्तर पर Incubation Cell स्थापित किये जायेंगे। इस प्रकार

School Startup कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए इन Startups को Hub & Spoke Model के माध्यम से Techno Hub से जोड़ा जायेगा।

53. प्रदेश में युवाओं को नवीनतम IT Technology जैसे Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics एवं Virtual Reality में Certificate Courses व Multi Discipilinary Research कराने के साथ–साथ आमजन को आकर्षक रूप से इन तकनीकों की जानकारी कराने के लिए मैं, जयपुर में लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि से **Rajiv Gandhi Centre of Advance Technology (R-CAT)** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।

54. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लेने के लिए **विद्या संबल योजना** लागू की जायेगी।

55. प्रदेश के लगभग 1 हजार 500 राजकीय विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए Science & Space Club खोले जायेंगे। इनमें NASA (National Aeronautics and Space Administration, USA) के सहयोग से Asteroid खोज अभियान भी चलाया जायेगा।

युवा एवं रोजगार :

जैसा कि हमारे लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न **राजीव गांधी जी** ने देश को 21st Century में अग्रणी बनाने के लिए कहा है कि–

'India is an old country but a young nation...
I am young and I too have a dream,

I dream of India strong, independent, self-reliant and in the front rank of the nations of the world, in the service of mankind.'

'भारत एक प्राचीन देश, लेकिन एक युवा राष्ट्र है...
मैं युवा हूँ और मेरा भी एक सपना है,
मेरा सपना है भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर
और दुनिया के सभी देशों में से अग्रणी लाना
और मानव जाति की सेवा करना।'

हम चाहते हैं कि राज्य के युवा राजीव गांधी जी के इन आदर्शों से प्रेरणा लें और सशक्त एवं कुशल बनकर राज्य की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान दें व प्रदेश के विकास में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारी सरकार हर वक्त, हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी।

मैं, इस अवसर पर युवाओं को अपने लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति **डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम** की ये पंक्तियां याद दिलाना चाहूँगा–

'सपने वो नहीं हैं, जो आप नींद में देखें,
सपने वो हैं, जो आपकी नींद ही उड़ा दें।'

56. **मुख्यमंत्री युवा संबल योजना–2019** को बेहतर बनाते हुए, employable बनाने की दृष्टि से पात्र बेरोजगार युवाओं को तीन माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवायी जायेगी एवं पात्र युवाओं को वर्तमान में देय बेरोजगारी भत्ते को **एक हजार रुपये** बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में 650 करोड़ रुपये व्यय कर हमने

1 लाख 60 हजार युवाओं को लाभांवित किया था, अब इस योजना से लगभग 2 लाख युवा लाभांवित हो सकेंगे।

57. आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में **राजीव गांधी युवा कोर (RYC)** का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 2 हजार 500 **'राजीव गांधी युवा मित्रों'** का चयन किया जायेगा। साथ ही, राज्य के समस्त गांवों में लगभग 50 हजार महिला व पुरुष **राजीव गांधी युवा Volunteers** भी बनाये जायेंगे।

58. सरकार में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं एकीकृत किये जाने की दृष्टि से, एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि) के स्थान पर **समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test)** लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, अभ्यर्थियों को बार–बार दस्तावेजों के प्रमाणीकरण एवं पुलिस वेरीफिकेशन से छुटकारा दिलाने के लिए one-time verification system बनाया जायेगा।

59. मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जायेगी। साथ ही, प्रदेश के युवा ब्राण्ड एम्बेसडर्स को भी यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

60. राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 वर्षों में **50 हजार** से अधिक पदों पर भर्तियां की जायेंगी।

क्र. सं.	विभाग का नाम	कुल पद
1	Agriculture	1674
2	Animal Husbandry	836
3	Ayurveda	890
4	Education	19000
5	Forest	1700
6	Home	8438
7	Medical Education	336
8	Medical Health	5000
9	PHED	3838
10	PWD	1538
11	Revenue	1100
12	Other Departments	8000

61. प्रदेश के युवाओं एवं बच्चों के शारीरिक विकास हेतु गत वर्षों में हमने खेलकूद प्रतियोगिताएं कराने के साथ–साथ खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए–

- मैं, **मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना** शुरू करने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किये जायेंगे। इसके लिए विधायक–सांसद निधि/जनप्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।
- मोरोली–भरतपुर में खेल स्टेडियम एवं काछवा–सीकर में भी खेल सुविधायें विकसित की जायेंगी।
- अजमेर, भरतपुर, बीकानेर एवं कोटा संभाग मुख्यालयों पर खेलों हेतु मल्टीपरपज इंडोर हॉल तैयार करवाये जायेंगे।
- राजसमन्द, सिरोही जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम एवं प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया जायेगा।

62. प्रदेश में व्यापक स्तर पर खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए लोकप्रिय खेलों जैसे—कबड्डी, वॉलीबाल, क्रिकेट (टेनिस बॉल) एवं हॉकी के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरीय Tournaments कराये जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

63. SMS स्टेडियम, जयपुर व अमृतलाल गहलोत स्टेडियम, चैनपुरा स्कूल मण्डोर, जोधपुर में **Residential Sports School** बनाये जायेंगे। जिसमें खिलाड़ियों को आवास, शिक्षा व खेल प्रशिक्षण की सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध होंगी। खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी आधारित फिजियोथैरेपी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से SMS स्टेडियम, जयपुर में **High Performance Training and Rehabilitation Centre** की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

64. पश्चिमी राजस्थान की मांग को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच एवं आईपीएल टूर्नामेंट आयोजित कराने के लिए **बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम, जोधपुर** के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य 20 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाये जायेंगे।

65. प्रदेश में डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैण्डबॉल एकेडमी प्रारंभ की जायेगी।

66. राज्य में युवाओं को अच्छी सुविधा देने हेतु यूथ हॉस्टल उदयपुर, जोधपुर, अजमेर की साज—सज्जा व सुदृढ़ीकरण के कार्य किये जायेंगे। साथ ही यूथ हॉस्टल, जयपुर को **'यूथ एक्सीलेंस सेंटर'** के रूप में विकसित किया जायेगा। इन पर 5 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

कृषक एवं पशुपालक कल्याण :

67. गांधीजी ने कहा था कि, **'अगर भारत को शांतिपूर्ण सच्ची प्रगति करनी है तो पैसे वाले यह समझ लें कि किसानों में ही भारत की आत्मा बसती है।'** हमारी सरकार भी हमेशा से किसान हितैषी रही है और कृषि ऋण माफी समेत कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनायें लाती रही है। केन्द्र के तीन विवादित कृषि कानूनों के स्थान पर, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने तीन विधेयक गत विधानसभा सत्र में पारित कराकर माननीय राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन हेतु माननीय राज्यपाल महोदय को अग्रेषित किये हैं। हमें विश्वास है कि इन विधेयकों को राष्ट्रपति महोदय को शीघ्र प्रेषित किया जायेगा। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए, अन्नदाता के बेहतर भविष्य एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए आगामी वर्ष से **'कृषि बजट'** की शुरूआत करना प्रस्तावित करता हूँ।

68. अपने वादे को निभाते हुए हमारी सरकार ने 20 लाख 89 हजार किसानों के 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण माफ किये हैं। साथ ही, हमने गत सरकार के समय से लंबित 6 हजार करोड़ रुपये का भी भुगतान किया और कुल मिलाकर 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि के किसानों के ऋण माफ किये।

हमने अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणी काश्तकारों को ऋण माफी का लाभ देने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इस संबंध में भारत सरकार से अभी तक सहमति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में भी हम State Level Bankers Committee (SLBC) के सम्पर्क में रहकर ऋण प्रयासरत हैं कि ऋण माफी से शेष रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों के ऋणी कृषकों के ऋण, बैंकों की One Time Settlement योजनाओं का उपयोग करते हुए माफ करवाया जाये।

69. हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में **ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना** लागू की गई थी। वर्ष 2020–21 में कोविड महामारी के बावजूद भी हम 87 प्रतिशत ऋण वितरण के लक्ष्यों को पूर्ण कर पाये। आगामी वर्ष में, प्रदेश के किसानों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये जायेंगे। साथ ही, इस योजना में वर्ष 2021–22 में **3 लाख नये किसानों** को जोड़ते हुए मत्स्य पालकों तथा पशुपालकों को सम्मिलित करना प्रस्तावित है।

70. कृषकों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा समग्र विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से, मैं **कृषक कल्याण कोष** के माध्यम से आगामी तीन वर्ष हेतु अनुदान आधारित **'मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना'** लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत–

- 3 लाख कृषकों को निःशुल्क Bio Fertilizers एवं Bio Agents दिये जायेंगे।
- एक लाख कृषकों के लिए कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना की जायेगी।
- तीन लाख कृषकों को **'micro nutrients kit'** उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किये जायेंगे।
- 30 हजार कृषकों के लिए डिग्गी व फार्म पॉण्ड बनाये जायेंगे।

- 1 लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकलर व मिनी स्प्रिंकलर दिये जायेंगे।
- 120 Farmer Producer Organisation (FPO) का गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, जिसके अंतर्गत उत्पादों की cleaning, grinding एवं processing इकाइयां स्थापित की जायेंगी, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

इन सब कार्यों पर 2 हजार करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

71. प्रदेश में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली की उपयोगिता को देखते हुए आगामी तीन वर्षों में लगभग 4 लाख 30 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जायेगा। साथ ही, फर्टिगेशन एवं ऑटोमेशन आदि तकनीकों को भी व्यापक प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके लिए 732 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

72. मैं, कृषि जिंसों एवं उनके processed उत्पादों के व्यवसाय व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से **मिनी फूड पार्क** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। आगामी वर्ष में पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर एवं दौसा जिलों में 200 करोड़ रुपये की लागत से मिनी फूड पार्क बनाये जायेंगे। साथ ही, मथानिया–जोधपुर में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से **मेगा फूड पार्क** की स्थापना की जायेगी।

73. किसानों को उनकी उपज के विपणन व बेहतर मूल्य दिलाये जाने के लिए आगंणवा–जोधपुर में आधुनिक सुविधा युक्त **ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी** स्थापित की जायेगी। इस पर 60 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

74. किसानों को विभिन्न प्रकार की सेवायें देने के उद्देश्य से आगामी 3 वर्षों में 125 करोड़ रुपये की लागत से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में एक हजार **किसान सेवा केन्द्रों** का निर्माण करवाया जायेगा। इसके लिए कृषि पर्यवेक्षकों के एक हजार नये पद भी सृजित किये जायेंगे।

75. हमने सरकार बनाते ही 5 वर्षों हेतु किसानों के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी। किसानों को इस वर्ष हम 12 हजार 700 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं तथा आगामी वर्ष के लिए भी 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान प्रस्तावित है। खेती हेतु पर्याप्त बिजली की उपलब्धता, बिजली खरीद में पारदर्शिता व अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए मैं, नयी **कृषि विद्युत वितरण कम्पनी** बनाने की घोषणा करता हूँ।

76. ऊर्जा विभाग द्वारा सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष DBT करने का पूर्व में प्रावधान किया गया था। वर्तमान में उक्त राशि देय नहीं है। अब मैं, पूर्व में संचालित योजना को और अधिक बेहतर बनाते हुए उड़ीसा सरकार की स्कीम की तर्ज पर, ऐसे उपभोक्ता जिनका बिल मीटरिंग से आ रहा है, को प्रतिमाह एक हजार तक व प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रुपये तक की राशि दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 1 हजार 450 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय संभावित है।

77. बीपीएल, छोटे घरेलू उपभोक्ता (150 यूनिट तक) एवं समस्त कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल प्रत्येक माह के स्थान पर अब दो माह में भेजे जायेंगे।

78. किसान साथियों को निरंतर बिजली मिल सके, इसके लिए मैं, 50 हजार किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने तथा अन्य 50 हजार किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अलावा, कटे हुए कृषि कनेक्शनों को पुनर्जीवित करने की वर्तमान अवधि 15 वर्ष को बढ़ाकर 20 वर्ष किया जायेगा।

79. राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में संपर्क सड़क निर्माण, अन्य आधारभूत संरचना विकसित करने तथा मंडियों को ऑनलाइन करने हेतु आगामी तीन वर्षों में **एक हजार करोड़** रुपये की लागत के कार्य कराये जायेंगे।

80. परबतसर, लाडनूं–नागौर, उच्चैन–भरतपुर, फतेहगढ़ व सुथारमण्डी–जैसलमेर में कृषि उपज मण्डी, पूगल (खाजूवाला)–बीकानेर में गौण मण्डी बनाया जाना तथा दूदू–जयपुर को स्वतंत्र मण्डी व तारानगर–चूरू को मुख्य मण्डी घोषित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, पादरू (सिवाना)–बाड़मेर में फल–सब्जी मण्डी बनायी जायेगी।

81. जोधपुर संभाग के किसानों को एक ही स्थान पर सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु पावटा स्थित कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के कार्यालयों को राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी (अनाज), भदवासिया–जोधपुर में स्थानांतरित कर **किसान कॉम्पलेक्स** बनाया जायेगा। इस पर 20 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

82. प्रदेश में खेती की लागत को कम करने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने वर्ष 2019 में **Zero Budget Natural Farming**

योजना शुरू की थी। इसके अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में 60 करोड़ रुपये व्यय कर 15 जिलों के 36 हजार किसानों को लाभांवित किया जायेगा।

83. बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तथा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। बस्सी–जयपुर में डेयरी व खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। साथ ही, डूंगरपुर, हिण्डौली–बूंदी एवं हनुमानगढ़ में नवीन कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी।

84. दूध उत्पादन को बढ़ावा देने व उत्पादकों की सहूलियत के लिए मैं, राजसमंद जिले में स्वतंत्र रूप से नये दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के गठन की घोषणा करता हूँ। वर्ष 2021–22 के लिए राज्य में नये दुग्ध संकलन रूट प्रारंभ करने के साथ ही जिला दुग्ध संघों में संचालित 1 हजार 500 दुग्ध संकलन केन्द्रों को प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

85. कृषि कार्य में समय की बचत तथा खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से लघु एवं सीमान्त कृषकों को उच्च तकनीक के कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने हेतु मैं, चरणबद्ध रूप से PPP Mode पर GSS एवं अन्य जगहों पर एक हजार **कस्टम हायरिंग केन्द्रों** की स्थापना करना प्रस्तावित करता हूँ। इस पर 20 करोड़ रुपये की लागत संभावित है।

86. वर्ष 2021–22 में 100 पैक्स / लैम्प्स में प्रत्येक में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण करवाया जायेगा। इस पर 12 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

87. मैं, प्रदेश की गोशालाओं व पशुपालकों को उनके घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर **'102–मोबाइल वेटेनरी सेवा'** शुरू करने की घोषणा करता हूँ। इस पर आगामी वर्ष में 48 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

88. प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु–

- जोबनेर में पशु विज्ञान केन्द्र व नावां–नागौर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जायेगा।
- वर्तमान में संचालित 200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों व 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राजकीय पशु चिकित्सालय बोराडा (किशनगढ़)–अजमेर को राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- पीलवा (डीडवाना)–नागौर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोला जायेगा।

89. पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने हेतु प्रत्येक पशु चिकित्सालय में **राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी** का गठन किया जायेगा।

90. पूर्व में सभी गोशालाओं के विद्युत कनेक्शन के लिए अघरेलू दर लागू थी। फरवरी, 2020 से पंजीकृत गोशालाओं के लिए घरेलू दर लागू की

गयी है। गोशालाओं को आर्थिक संबल देते हुए, आगामी वर्ष से सभी पंजीकृत गोशालाओं के लिए घरेलू दर की आधी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

91. हमने प्रत्येक ब्लॉक में नंदी शाला बनाने की घोषणा की थी। इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नंदी शालाओं को 1 करोड़ 50 लाख रुपये के मॉडल के आधार पर बनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष 111 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।

92. प्रदेश के प्रगतिशील किसानों (Progressive Farmers) की तरह ही, प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष **राज्यस्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह** आयोजित किये जायेंगे।

उद्योग :

MSME उद्योगों के विकास तथा उद्यमियों व निवेशकों के लिए investment friendly वातावरण तैयार करने व रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से हमारे द्वारा MSME Act, 2019 लाया गया।

93. राज्य के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए **नई नीति** जारी किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत गुणवत्ता नियंत्रण सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग लेबोरेट्री स्थापना, महिला-SC-ST उद्यमियों के स्किल अपग्रेडेशन, निर्यात प्रोत्साहन, ई–मार्केटिंग प्लेटफार्म आदि संबंधी समुचित प्रावधान किये जायेंगे।

94. राज्य में समग्र औद्योगिक विकास, निवेश एवं रोजगार के नये अवसर सृजित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) से वंचित 147

उपखण्डों में से वर्ष 2021–22 में प्रथम चरण में **64 उपखण्डों** में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जायेगी, जो इस प्रकार हैं–

क्र. सं.	जिला	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र
1	अलवर	बानसूर, रामगढ़, मालाखेड़ा, रैणी
2	बांसवाड़ा	बागीदोरा, आनन्दपुरी, छोटी सरवन
3	बारां	मांगरोल, किशनगंज, अटरू
4	बाड़मेर	गडरारोड (शिव), बायतू, चौहटन, धोरीमन्ना
5	भरतपुर	भुसावर, रूपवास, नगर
6	भीलवाड़ा	माण्डल
7	बूंदी	केशोरायपाटन, नैनवां, हिण्डोली
8	चित्तौड़गढ़	बेगूं
9	चूरू	राजगढ़
10	दौसा	सिकराय, नांगल राजावतान (लालसोट)
11	धौलपुर	राजाखेड़ा, बसेड़ी, सरमथुरा
12	डूंगरपुर	सिमलवाड़ा, आसपुर, गलियाकोट
13	श्रीगंगानगर	श्रीकरणपुर
14	जयपुर	जमवारामगढ़, विराटनगर
15	जालोर	चितलवाना
16	जैसलमेर	पोकरण
17	झुंझुनूं	खेतड़ी, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, मलसीसर
18	जोधपुर	भोपालगढ़, लोहावट, बावड़ी
19	करौली	मण्डरायल, सपोटरा, टोडाभीम
20	कोटा	दीगोद, सांगोद
21	नागौर	जायल, नावां, लाडनूं
22	प्रतापगढ़	अरनोद
23	राजसमंद	नाथद्वारा, रेलमगरा
24	सवाई माधोपुर	खण्डार, चौथ का बरवाड़ा, बौंली, मलारनाडूंगर, बामनवास

25	सीकर	लक्ष्मणगढ़, धोद
26	टोंक	पीपलू, टोडारायसिंह
27	उदयपुर	खैरवाड़ा

95. अलवर में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, टपूकड़ा व आसपास के नये क्षेत्र शामिल कर मैं, नयी एवं उन्नत **'Greater Bhiwadi Industrial Township'** बनाने की घोषणा करता हूँ। यह टाउनशिप राजस्थान के औद्योगिक परिवेश में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसमें आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रथम चरण में **एक हजार करोड़ रुपये** का निवेश किया जायेगा।

96. इसके साथ ही, जोधपुर–कांकाणी–रोहट–पाली–मारवाड़ क्षेत्र में **'Marwar Industrial Cluster'** बनाने की भी घोषणा करता हूँ। जिससे मारवाड़ क्षेत्र को Dedicated Freight Corridor के तहत आने वाले DMIC के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा। इस पर **750 करोड़ रुपये** व्यय किये जायेंगे। रीको को इसके लिए Regional Development Authority बनाया गया है।

97. नये निवेशकों को आकर्षित करने एवं निवेश संबंधी कार्य on the spot करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में देश–विदेश में Road Shows करने के साथ–साथ, राजस्थान फाउण्डेशन के सहयोग से जयपुर में **Rajasthan Investors Summit** का आयोजन किया जायेगा।

98. राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट व IT Professionals अपनी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। जयपुर को देश में **Fintech city** के रूप में

विकसित करने के उद्देश्य से, मैं **Fintech Park (Financial Technology Park)** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।

99. जोधपुर, फार्मा एवं स्वास्थ्य उपकरणों के हब के रूप में उभर रहा है। इसको देखते हुए जोधपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से एक **Biotech-Pharma Business Incubation & Research Centre** स्थापित किया जायेगा।

100. Ease of Doing Business को प्राथमिकता देते हुए Inspection राज खत्म करने की दृष्टि से विभिन्न विभागों में अनावश्यक inspections की प्रथा समाप्त कर Computerised Risk Based Analysis के आधार पर Random Roster से अधिकारियों का चयन कर ही Inspections करने की प्रक्रिया लागू करना प्रस्तावित है।

101. वर्तमान में Handloom क्षेत्र में कार्डधारक बुनकरों को एक लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज का शत–प्रतिशत पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब Handicraft क्षेत्र के दस्तकारों के लिए भी 3 लाख रुपये तक के ऋण पर शत–प्रतिशत ब्याज राशि सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

102. उद्योग विभाग द्वारा वितरित राज्य के दस्तकारों, बुनकरों, कुटीर एवं लघु उद्योगों के वर्ष 2000 तक के विभिन्न योजनाओं में बकाया समस्त ऋणों को माफ किया जायेगा। इससे लगभग 3 हजार उद्यमी लाभान्वित होंगे।

103. प्रदेश के दस्तकारों एवं बुनकरों द्वारा उत्पादित माल की राज्य स्तर पर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु दिल्ली हाट की तर्ज पर **जयपुर हाट** विकसित किया जायेगा एवं आधुनिक म्यूजियम की भी स्थापना

की जायेगी। साथ ही, सीकर के अपूर्ण रहे अर्बन हाट को आगामी वर्ष में पूर्ण कराने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

104. प्रदेश के विकास में युवाओं को आगे लाने व उनकी उद्यमिता का विकास करने की दृष्टि से हम प्रदेश में **Startups** को विभिन्न सुविधायें दे रहे हैं। वर्तमान में i-Start कार्यक्रम बड़े शहरों तक सीमित है। राज्य का ग्रामीण युवा दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ-साथ Innovation करने की क्षमता को भी समय-समय पर प्रदर्शित कर चुका है। अतः आगामी वर्ष में **Rural i-Start** कार्यक्रम वृहद् स्तर पर लागू किया जाना प्रस्तावित है।

105. युवाओं को प्रतिभा दिखाने व स्वरोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को, विभिन्न विभागों द्वारा, चयनित कार्यों हेतु 15 लाख रुपये तक के कार्यादेश बिना टेंडर प्रणाली के दिये जा सकेंगे।

सामाजिक सुरक्षा :

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाज के उन सभी तबकों की सेवा के लिए तत्पर है जिन्हें आज भी समानता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हम महिलाओं, विशेष योग्यजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कटिबद्ध हैं। माननीय सदन को **मदर टेरेसा** की पंक्तियाँ याद दिलाना चाहूँगा–

'हम में से सभी महान काम नहीं कर सकते हैं,
लेकिन हम छोटी चीजें अधिक प्रेम से कर सकते है।'

'Not all of us can do great things,

But we can do small things with great love.'

106. प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए मैं, विशेष **'राजस्थान पैटर्न'** लागू करने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत Rajasthan Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development कानून बनाया जायेगा।

107. विभिन्न professional courses में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC, ST, OBC, MBC व EWS के छात्र–छात्राओं हेतु **'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना'** लागू करने की मैं, घोषणा करता हूँ। इसमें कक्षा 11 एवं 12 में academic courses हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु professional coaching संस्थानों के माध्यम से तैयारी करायी जायेगी। इससे क्रमशः 5–5 हजार छात्र–छात्रायें प्रतिवर्ष लाभांवित होंगे। इस पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

108. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में SC, ST, OBC, MBC व EWS वर्ग की कॉलेज छात्राओं के लिए छात्रावास चलाये जा रहे हैं। अब इन वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु **अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना** लागू करना प्रस्तावित करता हूँ। इसके तहत पांच हजार छात्र लाभांवित होंगे।

109. अनुसूचित क्षेत्र सलूंबर, झाड़ोल, खैरवाड़ा, लसाड़िया–उदयपुर, धरियावाद, अरनोद–प्रतापगढ़, सागवाड़ा–डूंगरपुर, गढ़ी–बांसवाड़ा में आगामी वर्ष में 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किये जायेंगे।

110. बारां जिले के सहरिया क्षेत्र–खुशियारा, कोयला, कवाई व परानिया में सहरिया जनजाति हेतु संचालित 4 आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जायेगा।

111. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सांगानेर–जयपुर, मुण्डावर, नारायणपुर (थानागाजी)–अलवर, डीग–भरतपुर, पाटन–सीकर, सज्जनगढ़–बांसवाड़ा व बीकानेर स्थित 7 राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों के भवनों का निर्माण कराया जायेगा। इस पर 28 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।

112. राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अध्ययन की सुविधा हेतु–

- 8 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवनों का निर्माण ब्लॉक लक्ष्मणगढ़–अलवर, ब्लॉक रायसिंहनगर व अनूपगढ़–श्रीगंगानगर, ब्लॉक मसूदा–अजमेर, फतेहपुर–सीकर, चूरू, झुंझुनूं एवं टोंक में करवाया जायेगा।
- भणियाना ब्लॉक साकड़ा–जैसलमेर, ब्लॉक रामगढ़–अलवर एवं उदयपुर में 3 राजकीय आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जायेगी, जिस पर 62 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
- सीकर, चौहटन–बाड़मेर व पहाड़ी (कामां)–भरतपुर में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।

— जयपुर, जोधपुर एवं कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खोले जायेंगे।

113. राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु बाड़मेर में तीन तथा अलवर व भरतपुर जिले में एक–एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) के भवनों का निर्माण कराया जायेगा। साथ ही, अलवर में 10, अजमेर में 5 तथा जैसलमेर में 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

114. SC, ST, OBC व Minority के समावेशी विकास हेतु प्रत्येक वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपये के **विकास कोष** का गठन किया जायेगा। साथ ही, Transgenders के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि से **उत्थान कोष** बनाया जायेगा।

115. देवनारायण योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जा रहा है। साथ ही, आगामी वर्ष में MBC के लिए 3 छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा।

116. प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय यथा गाड़िया लुहार, बंजारा, सांसी, बावरी, भाट, नट तथा मदारी, सपेरा, बहरूपिये इत्यादि के उत्थान हेतु Denotified Tribes (DNT) Policy लायी जायेगी, जिसके अंतर्गत–

— DNTs के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये के कोष की स्थापना की जायेगी।

– इनके पारम्परिक कला एवं उद्यम हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि से DNT Research and Preservation Centre बनाया जायेगा।

117. जामडोली–जयपुर स्थित संस्थान में वृद्धजनों को रखने की क्षमता को 25 से बढ़ाकर 200 किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, राजकीय वृद्धाश्रम पुष्कर, अजमेर की क्षमता 25 वृद्धजन से बढ़ाकर 50 की जायेगी।

118. राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन, जो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके परिवारों को बीपीएल के समकक्ष माना जायेगा।

119. कक्षा 1 से 4 तक तथा कक्षा 5 से 8 तक के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को मिलने वाली वर्तमान छात्रवृत्ति को क्रमशः 40 से बढ़ाकर 500 रुपये एवं 50 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ।

120. कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र–छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए युवाओं को दो हजार Scooty दी जायेंगी। इस पर 15 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।

121. राज्य में अनुदानित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह, दृष्टिबाधित विद्यालयों, विशेष विद्यालयों व छात्रावासों में कार्यरत मानदेयकर्मियों हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि को दुगुना किये जाने की घोषणा करता हूँ।

122. बच्चों में नशे की प्रवृत्ति रोकने तथा उन्हें ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए **नेहरू बाल संरक्षण कोष** के तहत जयपुर, जोधपुर,

कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर एवं उदयपुर संभाग मुख्यालय पर **समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों** की स्थापना, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है।

123. राज्य सरकार अनाथ एवं उपेक्षित बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए अभिनव पहल करते हुए NGOs व civil society से समन्वय कर, सभी जिला मुख्यालयों पर **गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर** का संचालन प्रस्तावित करता हूँ।

124. आंगनबाड़ियों की दशा सुधारने व प्री–स्कूल गतिविधियों की समुचित व्यवस्था करने के लिए मैं, 25 हजार आंगनबाड़ियों को चरणबद्ध रूप से **नन्द घर योजना** में सम्मिलित करना प्रस्तावित करता हूँ।

125. Health एवं Hygiene को ध्यान में रखते हुए छात्राओं एवं किशोरियों को सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए सभी महिलाओं को, आवश्यकतानुसार यह सुविधा **'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना'** के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेगी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां घूंघट प्रथा भी है तथा महिलायें अपनी ऐसी समस्याएं किसी से संकोचवश कह नहीं पाती हैं व इस कारण अनेक रोगों से ग्रसित हो जाती हैं तथा उन्हें समय पर इलाज भी नसीब नहीं होता। अतः महिला SHG, सामाजिक संस्थाओं एवं NGOs के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाकर सेनेटरी नेपकिन का वितरण करवाया जायेगा। इस हेतु इन संगठनों को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस योजना में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

126. महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने एवं काउंसलिंग के लिए जयपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों पर **इंदिरा महिला शक्ति केन्द्रों** की स्थापना प्रस्तावित करता हूँ। इन पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

127. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाये जाने के लिए, राजीविका के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्री की एक लाख रुपये तक की सीधी सरकारी खरीद का प्रावधान, अमृता सोसायटी की तर्ज पर, किया जायेगा।

128. जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ–बाड़ी केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

129. जनजाति उपयोजना, सहरिया व माडा क्षेत्र के 45 हजार जनजाति परिवारों को उनके द्वारा संगृहीत लघु वन उपजों का value addition कर, मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए 150 **वनधन केन्द्रों** का गठन किया जायेगा। इस पर लगभग 22 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।

130. शहीद आदिवासियों की स्मृति में भव्य मेमोरियल बनाने के लिए मैंने वर्ष 2013 में **लीलूडी बडली शहीद स्मारक** का गांव भूला–सिरोही में शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए अब इस स्मारक को पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ।

131. शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं एवं अविवाहित शहीद सैनिकों के माता–पिता को वर्तमान में देय सम्मान भत्ता 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह किया जायेगा। साथ ही, शहीद सैनिकों के आश्रित माता–पिता के भरण–पोषण के लिए वर्तमान 3 लाख की FD (Fixed Deposit) को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

132. प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को देय सम्मान पेंशन राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार प्रतिमाह की जायेगी।

133. देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों एवं आत्मनिर्भर मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों का मानदेय क्रमशः 1 हजार 800 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार एवं 3 हजार 600 से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह किया जायेगा।

आधारभूत संरचना :

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ–साथ आमजन को अन्य बुनियादी सुविधायें जैसे–बिजली, पानी, सड़क, आवास आदि उपलब्ध कराना हमारी सरकार की हमेशा से ही प्राथमिकता रही है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष के दौरान ज्यादातर समय में कोविड की वजह से लॉकडाउन की स्थिति रही। इस वजह से कई कार्य देरी से प्रारंभ हुए या अपूर्ण रहे हैं। अतः हमारी मंशा है कि आगामी वर्ष में इन सुविधाओं का काम तीव्र गति से करते हुए विस्तार किया जाये।

सड़क—शहरी विकास :

134. मैं, प्रदेश में सड़कों के सुनियोजित विकास के लिए वर्ष 2021 से 2026 तक की अवधि हेतु **नवीन राज्य सड़क नीति—2021** लाया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

135. माननीय सदस्यों के माध्यम से सड़कों के repair, strengthening, upgradation एवं निर्माण से संबंधित प्रस्ताव काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। अतः इसको ध्यान में रखते हुए—

- आगामी वर्ष में एक हजार करोड़ रुपये की राशि से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये लागत के नॉन—पेचेबल या मिसिंग लिंक सड़क के कार्य कराने तथा
- राज्य के सभी जिलों में 7 हजार 257 किलोमीटर लम्बाई की अन्य जिला सड़कों (ODR) व ग्रामीण सड़कों को राज्य राजमार्गों व मुख्य जिला सड़कों (MDR) में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है।

136. आधारभूत संरचना में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले के तीन प्रमुख सड़क मार्गों के मेजर रिपेयर कार्य लगभग **1 हजार 900 करोड़ रुपये** की लागत से करवाये जायेंगे—

क्र.सं.	जिला	सड़क का नाम (पंचायत समिति का नाम)
1	अलवर	• अलवर—जयपुर सड़क से सिलीसेढ़—घरभाजी सड़क (उमरेण) • SH—52 ज्ञानपुरा सीकर सीमा तक वाया कराना—राजनोता —रघुनाथपुरा (बानसूर) • किशनगढ़—कोटकासिम—बोलनी राज्य सीमा तक (किशनगढ़बास) •

2	अजमेर	• केकड़ी शहर की सड़क का 2 लेन से 4 लेन में चौड़ाईकरण (केकड़ी) • NH–79 से झिपिया वाया राताकोट (मसूदा) • नये बस स्टेण्ड किशनगढ़ से फरासीया फाटक (किशनगढ़)
3	बांसवाड़ा	• तेजपुर से बोरवट सड़क urban link through बांसवाड़ा सड़क मय पुलिया (बांसवाड़ा) • संपर्क सड़क मुवाल से महुडाफला पाडला सड़क पर पुल निर्माण कार्य (कुशलगढ़) • संपर्क सड़क पोटलिया पर पुल निर्माण कार्य (कुशलगढ़)
4	बारां	• अन्ता–सीसवाली हाई लेवल ब्रिज (अंता) • मेरमाचाह से चौकी बोरदा मय पुलिया निर्माण (अटरू) • किशनगंज से मांगरोल वाया रामगढ़ सड़क पर हाई लेवल ब्रिज (किशनगंज)
5	बाड़मेर	• भाडखा–बाटाडु–कानोड़–गिड़ा–परेऊ–पाटोदी (बायतु) • उतरलाई जिप्सम हॉल्ट जालिपा–हरसाणी (बाड़मेर ग्रामीण) • संपर्क सड़क बाड़मेर–गडरारोड से बाड़मेर चौहटन (रामसर, चौहटन)
6	भरतपुर	• पान्होरी से नदबई वाया जनूथर ऐंचेरा (नगर, नदबई) • बाड़ी–बसेडी–बंध–बारैठा–उच्चैन भरतपुर सौंख (बयाना, उच्चैन) • सेंथरा से इकरन मोड़ वाया जाटौलीरथभान पीपला इकरन (सेवर)
7	भीलवाड़ा	• भीलवाड़ा से देवगढ़ वाया पान्सल–पिथास–बागौर–रायपुर–बोराना–जगदीश सड़क जिला सीमा तक (सहाड़ा) • भीण्डर–रामगढ़ वाया फतहनगर–गंगापुर–रायपुर–करेड़ा (आसींद) • मानपुरा–जलीन्द्री सड़क मय पुलिया निर्माण (मांडलगढ़)
8	बीकानेर	• NH–11 उरमुल सर्किल–करमीसर रोड जंक्शन व NH–89 गोगागेट सर्किल–उदयरामसर जंक्शन (बीकानेर) • बीकानेर –झझु–दासुडी रोड (कोलायत) • बछासर से चावला बस्ती से NH–11 (खाजूवाला)
9	बूंदी	• धनावा–धाबाईयों का नयागांव–दबलाना–रानीपुरा–बांसी–दुगारी–नैनवां मय उच्च स्तरीय पुल (हिण्डौली) • बूंदी–दलेलपुरा–अलोद–मेण्डी MDR–52 सड़क (बूंदी, हिण्डौली) • पैच की बावड़ी से थाना रोड जिला सीमा तक (हिण्डौली)

10	चित्तौड़गढ़	• निम्बाहेड़ा से अरनिया माली सेगवा सड़क (निम्बाहेड़ा) • रावतभाटा–जवाहर नगर (बेगूं) • पांडोली–झांतला माता–नेतवाल महाराज–छापरी सड़क (चित्तौड़गढ़, कपासन)
11	चूरू	• भालेरी–कोहिणा–साहवा (तारानगर) • सीकर नोखा सड़क, लेफ्ट आउट पोर्शन (सुजानगढ़) • एलसी संख्या–21 पर सुजानगढ़ पर आरओबी निर्माण कार्य (सुजानगढ़)
12	दौसा	• NH–21 से NH–148 वाया छतरीवाली ढाणी–सीर्रा की ढाणी–दुर्गा मंदिर–मालपुरा–चादराना जिला सीमा तक (दौसा) • NH–148 से मौरोली वाया पीपली–पातलवास–कोलीवाडा –डोब–पपलाज माता–सरधोण (लालसोट) • गोल्या मोड़ NH–25 से टोरडा वाया गांगदवाडी–गण्डरावा–टोरडा रोड (सिकराय)
13	धौलपुर	• बाड़ी रोड से भरतपुर धौलपुर रोड को जोड़ते हुए सैंपऊ में बाईपास (सैंपऊ) • बाड़ी शहर में रिंग रोड का निर्माण (बाड़ी) • बसेड़ी–जगनेर रोड (बसेड़ी)
14	डूंगरपुर	• डचकी से लिमडिया फला मय पुल (डूंगरपुर) • सांगवाड़ा–कोकापुर–पादरा–पुनाली सड़क (सागवाड़ा–दौबड़ा–आसपुर) • आसपुर–डूंगरपुर–सरथुना सड़क (डूंगरपुर–आसपुर–दौबड़ा)
15	हनुमानगढ़	• हनुमानगढ़–अबोहर सड़क (SH–7A) (हनुमानगढ़) • हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर सड़क (SH–36) पर श्रीगंगानगर–हनुमानगढ़ रेलवे सेक्शन के किमी 201/0–1 पर रेलवे फाटक संख्या 176 के स्थान पर आरओबी निर्माण कार्य (हनुमानगढ़) • नोहर–सरदारशहर सड़क (नोहर)
16	जयपुर	• झोटवाड़ा–खोराबीसल–नांगल लाडी–पुनाना–भैंसवा (झोटवाड़ा–आमेर) • फागी से मोहनपुरा–राजावतान वाया किशोरपुरा–सेमलिया (फागी)

		• खेजरोली मूंडरू सड़क से सिमारड़ा वाया ऊंटगढा (गोविंदगढ़)
17	जैसलमेर	• गडरा रोड से नाचना वाया चावा–बायतु–काणोद (भणियाना, साकड़ा) • जैसलमेर झिनझिनयाली (जैसलमेर, फतेहगढ़) • पोकरण से झिनझिनयाली वाया सांकड़ा भैंसड़ा डांगरी फतेहगढ़ (साकड़ा, फतेहगढ़)
18	जालोर	• गोदन–बिशनगढ़ सड़क (जालोर) • सांचोर–रानीवाड़ा–मण्डार सड़क (रानीवाड़ा) • जानवी–खासरवी–सुथडी–सुराचन्द (चितलवाना)
19	झालावाड़	• नलखेड़ी–आर्कखेड़ी–गुराडिया माना प्रदेश सीमा तक (भवानीमंडी) • परवन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य कलमोदिया हरनावदा मनोहरथाना राजगढ़ सड़क खाताखेड़ी गांव के पास (मनोहरथाना) • रतलाई–करालगांव–बकानी सड़क (बकानी)
20	झुंझुनूं	• झाझड़–परसरामपुरा–धोलाखेड़ा (नवलगढ़) • सुलताना–चनाना–बड़ाउ–कालोटा–बबाई (खेतड़ी) • ढिगाल–मण्डावा (मण्डावा)
21	जोधपुर	• लोहावट–देचू सड़क (लोहावट) • जोधपुर–बालेसर–शेरगढ़ सड़क (शेरगढ़) • गोकुल जी की प्याऊ से 8 मील मण्डोर तक तथा जोधपुर शहर की विभिन्न आंतरिक सड़कों पर स्टोन पेवमेंट (मण्डोर)
22	करौली	• कुडगांव से कैलादेवी (सपोटरा) • फेली का पुरा से वाया कोटरी–खरैटा (हिण्डौन) • केशपुरा बसेडी वाया सिरियापुरा (करौली)
23	कोटा	• कैथून–राजपुरा–बालाजी की थाक–अडूसा–सांगोद पर उच्च स्तरीय पुल (सांगोद) • इन्द्रगढ़–चम्बल ढीपरी–राजोपा–इटावा–पीपल्दा–शहनावदा राज्य सीमा तक (इटावा, पीपल्दा) • कोटा–सुल्तानपुर–खातौली–श्योपुर मार्ग पर सुल्तानपुर कस्बे में बाईपास (इटावा)
24	नागौर	• डेगाना–हरसौर सड़क (डेगाना) • जायल–मांगलोद–डेह सड़क (जायल)

		• कुचामन–चितावा–घाटवा (कुचामन)
25	पाली	• बिलाड़ा–सोजत–सिरियारी–देसूरी–सादड़ी–पिण्डवाड़ा (मारवाड़, देसूरी) • जोधपुर–जोजावर सड़क स्टेट हाइवे–61 किमी. 227/0 से 250/0 वाया जैतपुरा–देवली–मुकनपुरा–जाणुन्दा–धनला–कोटड़ी (मारवाड़ जंक्शन) • जैतारण से निम्बौल–सिनाल सड़क (जैतारण)
26	प्रतापगढ़	• मंगलवाड़–बड़ी सादड़ी–छोटी सादड़ी–नीमच एवं नारायणी गांव बाईपास (छोटी सादड़ी) • अरनोद–जाजली राज्य सीमा तक मय पुलिया (अरनोद) • पुलिया निर्माण कार्य नकोर पीपलीखेड़ा रोड (गलिता नदी पर) (धमोतर)
27	राजसमंद	• गुंजोल से सायों का खेड़ा (खमनोर) • केलवाड़ा–ओलादर चौराहा से भादसोड़ा वाया सापोल–मुण्डोल–राजनगर–रेलमगरा–कपासन–भादसोड़ा चौराहा (राजसमंद) • केलवाड़ा से सायरा सड़क (कुम्भलगढ़, सायरा)
28	सवाई माधोपुर	• सूरवाल खिलचीपुर गणेश धाम तक मय पुल (सवाई माधोपुर) • सालोदा–पीलोदा–बगलाई शिवाला नादौती तक (गंगापुरसिटी) • बहरावण्डा खण्डार बालेर सड़क से रामेश्वर घाट (खण्डार)
29	सीकर	• खाटु–पलसाना–खण्डेला–चला (खंडेला) • जाजोद से नरसास–डोआसरा–सोला–मंगलूणा सड़क (लक्ष्मणगढ़) • कोटपूतली–लोसल वाया सीकर–धोद (धोद)
30	सिरोही	• सिरोही–कालन्द्री–रामसीन (सिरोही) • गिरवर चौराहे से (NH–27) मावल गांव तक सड़क मय पुल निर्माण (आबूरोड) • कोजरा–नादिया सड़क पर कोजरा नदी पर पुल निर्माण (पिण्डवाड़ा)
31	श्रीगंगानगर	• गंगानगर बाईपास का उन्नयन (श्रीगंगानगर) • सादुलशहर से पक्कासहारणा वाया प्रतापपुरा–मन्नीवाली–किल्लांवाली (सादुलशहर)

		• पदमपुर से 32 एम.एल. सड़क (पदमपुर, रायसिंहनगर)
32	टोंक	• नाथडी–पीपलू–रानोली–कठमाना (पीपलू) • ककोड–नगर सड़क (उनियारा) • चतुर्भुजपुरा रोड से मुकुन्दपुरा वाया कीरो की ढाणी मय मासी नदी पर वेन्टेड काजवे (निवाई)
33	उदयपुर	• ऋषभदेव–बलुआ–सराड़ा–चावण्ड–जयसमंद–जगत झामेश्वर (ऋषभदेव, सलूंबर, सराड़ा) • दरोली–मंदेरिया–गुपड़ी–जसपुरा स्कूल होते हुए कुराबड़ सड़क तक (वल्लभनगर) • खैरवाड़ा–कल्याणपुर (सलूंबर)

137. राज्य के कई नगरीय निकायों में समुचित वित्तीय संसाधन नहीं हैं। अतः एक विशेष फण्ड का गठन करते हुए, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नगर निगम की 30 किलोमीटर, नगर परिषद की 20 किलोमीटर व नगर पालिका की 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इस पर लगभग 1 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

138. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–तृतीय के तहत आगामी दो वर्षों में शेष 2 हजार 841 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के कार्य किये जायेंगे। इस पर 1 हजार 425 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

139. प्रदेश के ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय, जो डामर सड़कों से वंचित हैं, को डामर सड़कों से जोड़ने की घोषणा करता हूँ।

140. आगामी वर्ष में 3 हजार 880 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 590 किलोमीटर लम्बाई के 27 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं—

क्र. सं.	राज्य राजमार्ग	लागत
1	ब्यावर—मसूदा—गोयला जिला अजमेर (SH-26A)	146 करोड़ 34 लाख रुपये
2	अराई—सरवाड़ जिला अजमेर व टोंक (SH-7E)	111 करोड़ 24 लाख रुपये
3	एन.एच. 12—लक्ष्मीपुरा—डोरा—डाबी—राणाजी का गुढ़ा जिला बूंदी (SH-115)	103 करोड़ 25 लाख रुपये
4	मांगलियावास—पादूकलाँ जिला अजमेर व नागौर (SH-102)	134 करोड़ 38 लाख रुपये
5	ब्यावर—पीसांगन—टहला—कोट—अलनियावास जिला अजमेर व नागौर (SH-59 & 104)	132 करोड़ 77 लाख रुपये
6	पदमपुर—रायसिंहनगर एवं सत्तासर—बीकानेर अनुभाग जिला श्रीगंगानगर व बीकानेर (SH-3)	206 करोड़ 35 लाख रुपये
7	झुंझुनूं—राजगढ़ जिला झुंझुनूं व चूरू (SH-41)	151 करोड़ 47 लाख रुपये
8	नीमकाथाना—खेतड़ी—सिंघाना जिला सीकर व झुंझुनूं (SH-13)	174 करोड़ 31 लाख रुपये
9	किशनगढ़—अराई—मालपुरा जिला अजमेर व टोंक (SH-7E)	162 करोड़ 22 लाख रुपये
10	रामसीन—भीनमाल—रानीवाड़ा जिला जालोर (SH-31)	242 करोड़ 71 लाख रुपये
11	दांतीवाड़ा—पीपाड़—मेड़ता सिटी खण्ड (SH-21)	240 करोड़ 85 लाख रुपये
12	चूरू—तारानगर—नोहर खण्ड (SH-36)	258 करोड़ 74 लाख रुपये
13	खेड़ली—नदबई—कुम्हेर खण्ड (SH-44)	118 करोड़ 12 लाख रुपये
14	राजगढ़—भादरा खण्ड (SH-106)	126 करोड़ 72 लाख रुपये
15	पालोदा—गढ़ी—आनन्दपुरी राज्य सीमा तक खण्ड (SH-10A)	107 करोड़ 71 लाख रुपये
16	मथानिया—तिंवरी—देचू (SH-61B) और जोधपुर—तिंवरी (SH-95)	250 करोड़ रुपये
17	धरियावाद—पारसोला—साबला (SH-91)	111 करोड़ 5 लाख रुपये
18	गढ़ी—बागीदौरा—कुशलगढ़ (SH-54A)	179 करोड़ 14 लाख रुपये
19	नटनी का बाड़ा—मालाखेड़ा (अलवर)—मौजपुर (SH-44)	100 करोड़ 18 लाख रुपये

20	बीकानेर–नापासर–जसरासर (SH-20B)	130 करोड़ रुपये
21	सायला–बागौड़ा–गुढ़ामलानी (जालोर–बाड़मेर) (SH-16B)	172 करोड़ 50 लाख रुपये
22	गोटन–साथिन (पीपाड़) (SH-86B)	61 करोड़ रुपये
23	बूंदी–सिलोर–नमाना–गरदा–भोपतपुरा रोड (SH-29B)	132 करोड़ रुपये
24	गोल्याना–नवलगढ़ (MDR-25B)	54 करोड़ रुपये
25	बम्बोरा (किशनगढ़ बास) (SH-25) – नौगांव (MDR-25/VR)	56 करोड़ 25 लाख रुपये
26	माल बमोरी–मांगरोल–बारां खण्ड (SH-01)	125 करोड़ रुपये
27	दूदू–सांभर–भाटीपुरा (SH-2)	90 करोड़ 90 लाख रुपये

141. आगामी वर्ष में 403 करोड़ रुपये की लागत से हिण्डौन–करौली में तीन, बयाना–भरतपुर में दो, लाखेरी–बूंदी, भरतपुर शहर व गंगापुरसिटी–सवाई माधोपुर में एक–एक ROB का निर्माण करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 1 लाख से अधिक कुल रेल वाहन भार वाले 8 रेल फाटकों (आदर्श नगर–अजमेर में दो, दोराई–अजमेर, नोखा–बीकानेर, देपलसर–चूरू, रानीवाड़ा–जालोर, डेगाना–नागौर, पलसाना–सीकर में एक–एक) पर ROB के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करायी जायेगी।

142. फतेहपुर–सीकर में सीकर–चूरू रेलवे खण्ड पर पूर्व समपार फाटक संख्या 32 पर 1 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से RUB का निर्माण कार्य करवाया जायेगा।

143. बूंदी जिले में कोटा–लाखेरी–सवाई माधोपुर–लालसोट–दौसा मेगा हाईवे पर पापड़ी गांव के पास मेंज नदी पर 37 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से High Level Bridge का निर्माण कराया जायेगा।

144. कोटा जिले की पीपल्दा तहसील में इन्द्रगढ़–ढिबरी–राजोपा–इटावा–शहनावदा–ललितपुर सड़क (एसएच–120) पर स्थित गोठड़ा कलां पर चम्बल नदी पर High Level Bridge के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करवायी जायेगी।

145. यातायात को सुगम बनाने के लिए खातोली–सवाई माधोपुर सड़क पर जरेल के पास चम्बल नदी पर 131 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया जायेगा। इसी के साथ, बेणेश्वर धाम में डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले को जोड़ने वाली नदी पर 132 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से पुल का निर्माण किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

146. प्रदेश में स्थानीय आवश्यकतानुसार 50 एनिकटों का निर्माण व जीर्णोद्धार किया जायेगा। साथ ही, सिलवट (राजाखेड़ा)–धौलपुर में पार्वती नदी पर 6 करोड़ रुपये की लागत से एनिकट बनाया जायेगा।

147. जैसाकि विदित है, जयपुर की महत्वपूर्ण रिंग रोड योजना के पहले चरण में अजमेर रोड से आगरा रोड (दक्षिणी रिंग रोड) पर यातायात आरंभ हो गया है। अब द्वितीय चरण में आगरा रोड को दिल्ली रोड से जोड़ने वाली 45 किलोमीटर लम्बी उत्तरी रिंग रोड की डीपीआर बनायी जायेगी।

148. भरतपुर–आगरा वाया अचनेरा रोड की राजस्थान सीमा तक 15 किलोमीटर लम्बाई में सड़क को चौड़ा करने के लिए आगामी वर्ष में 16 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाया जायेगा।

149. आगामी वर्ष में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से वाटिका, महला–जयपुर, निवाई–टोंक, नसीराबाद एवं किशनगढ़–अजमेर,

आबूरोड–सिरोही, उदयपुर शहर, भींडर–उदयपुर, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा में लगभग 3 हजार आवासों का निर्माण करवाया जायेगा।

150. मेरे द्वारा माननीय सदस्यों के लिए विधानसभा के निकट आवास निर्मित करने की घोषणा की गयी थी। अब इसी परिसर में आवासों के साथ–साथ नई दिल्ली स्थित Constitution Club की तर्ज पर **Constitutional Club, Jaipur** बनाना प्रस्तावित करता हूँ, जिससे पक्ष व विपक्ष के सभी साथियों में legislative fraternity की भावना स्थायी रूप से बनी रहेगी।

151. पाक विस्थापितों को सामाजिक एवं आर्थिक संबल देने की दिशा में 'विनोबा भावे नगर' के अंतर्गत 1700 विस्थापितों के लिए ग्राम चौखा–जोधपुर में 102 करोड़ रुपये की लागत से सस्ती दर पर आवास उपलब्ध करवाये जायेंगे।

152. जयपुर शहर में लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य करवाये जायेंगे। जिसमें जयपुर की पारम्परिक स्थापत्य कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। साथ ही, शहर के 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त किया जायेगा।

153. जयपुर में, आगरा रोड पर लगभग 113 हेक्टेयर भूमि पर सिल्वन पार्क का विकास किया गया है। अगले चरण में, इसमें वॉकिंग–ट्रेक का निर्माण व अन्य विकास कार्य कराकर सेन्ट्रल पार्क की तर्ज पर विकसित किया जायेगा।

154. जोधपुर में जल भराव की समस्या दूर करने व ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए शोभावतों की ढाणी से जोजरी नदी तक भैरव नाला का तथा सारण नगर से आरटीओ नाला का जोजरी नदी तक निर्माण कार्य करवाया जायेगा। इन पर 191 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। साथ ही, जोधपुर शहर में पुरानी सीवरेज लाइन की मरम्मत व नयी सीवरेज लाइन के कार्य करवाये जायेंगे। इन पर 309 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

155. भरतपुर शहर के जल निकासी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मास्टर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जायेगा। इस परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

156. लक्ष्मणगढ़–सीकर में बरसात के दिनों में एकत्रित होने वाले पानी की निकासी के लिए पम्पिंग स्टेशन का निर्माण, WWTP की स्थापना आदि कार्यों हेतु 10 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

157. धार्मिक नगरी पुष्कर–अजमेर के पवित्र सरोवर में बारिश के पानी के साथ गंदगी को जाने से रोकने संबंधी विभिन्न कार्यों हेतु DPR बनायी जायेगी।

158. कोटा शहर में सुचारु यातायात के लिए महाराणा प्रताप चौराहा, कुन्हाड़ी का विकास कार्य एवं बोरखेड़ा ROB से पेट्रोलपम्प, बारां रोड तक एलीवेटेड रोड का निर्माण किया जायेगा, जिस पर 140 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

159. जोधपुर शहर में बॉम्बे मोटर एवं 12वीं रोड से पावटा तक मुख्य सड़क के समानान्तर सड़कों का उपयोग करते हुए looping route विकसित करने के साथ–साथ हेरिटेज संरक्षण हेतु नई सड़क के बरामदों, रेलवे स्टेशन से राजरणछोड़ दास जी मंदिर होते हुए पूरी तिराहे तक के भवनों का जीर्णोद्धार तथा घण्टाघर से मेहरानगढ़ तक ब्ल्यू कॉरिडोर का कार्य कराया जायेगा। इन पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

160. पाली शहर की मुख्य सड़कों–सोजत रोड पर Government कॉलेज से लेकर हैफा हीरो सर्किल व जोधपुर रोड पर खेतेश्वर सर्किल तक निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 25 करोड़ रुपये लागत के कार्य करवाये जायेंगे।

161. बीकानेर शहर में गोगा गेट सर्किल से भीनासर ट्रैफिक चौकी तक एवं म्यूजियम सर्किल से हल्दीराम प्याऊ तक की सड़क को 4 लेन से 6 लेन व पुगल फांटे से ROB तक सड़क विस्तारीकरण का कार्य करवाया जायेगा। साथ ही, वर्षा जल निकासी हेतु नालों का निर्माण किया जायेगा। इन कार्यों पर लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

162. उदयपुर शहर में यातायात सुगमता एवं आधारभूत संरचना विकास की दृष्टि से भुवाना चौराहे से प्रतापनगर तक 4 लेन की 5.5 किलोमीटर इनर रिंग रोड का निर्माण, प्रतापनगर–भुवाना 200 फीट सड़क पर अण्डरपास निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण व साउथ विस्तार योजना में सड़क निर्माण आदि कार्य कराये जायेंगे। साथ ही, वाडा–ढिकली क्षेत्र में जल भराव समस्या के निदान हेतु नाला निर्माण, पहाड़ी–वॉटरबॉडीज संरक्षण एवं

पेयजल सुविधा हेतु कार्य प्रारंभ कराये जायेंगे। इन कार्यों पर 150 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।

163. अलवर शहर की शालीमार योजना में सीवरलाइन एवं STP निर्माण कार्य, वैशालीनगर से MIA तक 4 लेन सड़क एवं नाला निर्माण, हीराबास काली मोरी से 200 फीट बाईपास तक एवं रूपवास ROB से हनुमान सर्किल तक नाला निर्माण कार्य किये जायेंगे। इन कार्यों पर अनुमानित 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

164. सवाई माधोपुर शहर में भैंरू दरवाजे के पास से राजबाग तक की सड़क के विकास व सौन्दर्यीकरण हेतु DPR बनायी जायेगी।

165. जोधपुर शहर में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रम आयोजित कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 500 की बैठक क्षमता के **आधुनिक ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर** का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, दौसा, जालोर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर एवं बूंदी में टाउनहॉल बनाये जायेंगे।

166. हमने वर्ष 2012–13 में ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ की थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। इस सेवा की लोकप्रियता, आम जनता को मिलने वाली सुविधा को देखते हुए मैं, नये वाहनों के साथ **ग्रामीण बस सेवा** पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत सेवा से वंचित रही लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा से जोड़ा जायेगा। साथ ही, करौली व लाडनूं, मकराना–नागौर में आधुनिक रोडवेज बस स्टैण्ड व बानसूर–अलवर में नवीन बस डिपो बनाये जायेंगे।

167. सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की तकनीकी जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं मानवीय हस्तक्षेप को नगण्य करने हेतु 5 जिलों–प्रतापगढ़, करौली, जैसलमेर, बूंदी एवं बारां में ऑटोमैटेड फिटनेस जांच केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन पर 10 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

पेयजल–जल संसाधन :

168. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, वर्ष 2021–22 में **जल जीवन मिशन** के अंतर्गत लगभग 4 हजार 700 करोड़ रुपये की 12 नवीन वृहद् पेयजल परियोजनाओं का काम प्रारंभ किये जाने की घोषणा करता हूँ। इससे 1 हजार 428 गांव एवं 1 हजार 891 ढाणियां लाभांवित होंगी। ये परियोजनायें हैं–

क्र.सं.	पेयजल परियोजना	लागत
1	भेर–हरलाया भाग प्रथम वृहद पेयजल परियोजना (ओसियां) जिला जोधपुर	136 करोड़ 36 लाख रुपये
2	भेर–हरलाया भाग द्वितीय वृहद पेयजल परियोजना (आऊ–लोहावट एवं बापिणी) जिला जोधपुर	463 करोड़ 10 लाख रुपये
3	बत्तीसा नाला वृहद पेयजल परियोजना (सिरोही–पिण्डवाड़ा–आबू रोड) जिला सिरोही	408 करोड़ 24 लाख रुपये
4	शिवगंज वृहद पेयजल परियोजना जिला सिरोही	294 करोड़ 9 लाख रुपये
5	नर्मदा केनाल (ईआर) आधारित क्लस्टर जल प्रदाय परियोजना (जसवंतपुरा–रानीवाड़ा–सांचोर–सरनाऊ–चितलवाना– बागौड़ा–भीनमाल–जालोर–सायला) जिला जालोर	1 हजार 94 करोड़ रुपये
6	माही बांध से पंचायत समिति घाटोल एवं बांसवाड़ा के कुल 249 गांवों हेतु पेयजल परियोजना जिला बांसवाड़ा	500 करोड़ रुपये
7	श्री डूंगरगढ़ लूणकरणसर जल प्रदाय परियोजना जिला	708 करोड़ 93 लाख रुपये

	बीकानेर	
8	खाजूवाला जल प्रदाय परियोजना जिला बीकानेर	488 करोड़ 89 लाख रुपये
9	राजगढ़–झालरापाटन जल प्रदाय परियोजना जिला झालावाड़	274 करोड़ 78 लाख रुपये
10	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाघेरी का नाका जिला राजसमन्द	133 करोड़ 48 लाख रुपये
11	तहसील बेगूं के 62 गांवों एवं 36 ढाणियों को सतही पेयजल स्रोत ओराई बांध आधारित परियोजना जिला चित्तौड़गढ़	44 करोड़ 49 लाख रुपये
12	जायल मातासुख पेयजल परियोजना जिला नागौर	159 करोड़ 30 लाख रुपये

169. जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने हेतु 13 परियोजनाओं की DPR बनाने की घोषणा की गई थी। इनमें से आगामी वर्ष में, प्रथम चरण में 2 हजार 285 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जायेगा, जिससे प्रदेश के 2 हजार 686 गांव एवं 2 हजार 453 ढाणियां लाभान्वित होंगे। ये परियोजनायें हैं–

- क्लस्टर परियोजना आसींद–बदनोर, बनेड़ा–हुरड़ा, रायपुर–सहाड़ा–सुवाणा, जहाजपुर–कोटड़ी, मांडलगढ़–बिजोलिया–जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।
- बाड़मेर लिफ्ट परियोजना भाग 'अ' (बाड़मेर–बायतु–बालोतरा) जिला बाड़मेर व बाड़मेर लिफ्ट परियोजना भाग 'द' (भणियाना, सांकड़ा, सम, फतेहगढ़, मोहनगढ़, जैसलमेर) जिला जैसलमेर।
- कानसिंह की सिड–मंडोर परियोजना, (बाप), फलौदी जिला जोधपुर व राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से पीलवा–सादड़ी जंबेश्वर नगर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना (लोहावट एवं देचूं) जिला जोधपुर

एवं माणकलाव–दाईजर–बनाड़ (मण्डोर–कैरू–ओसियां) जिला जोधपुर।

- आपणी योजना–द्वितीय चरण (रतनगढ़–सुजानगढ़ सेक्शन) जिला चूरू।
- फतेहपुर–लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना जिला सीकर।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एकीकृत तारानगर–झुंझुनूं, सीकर खेतड़ी वृहद् पेयजल परियोजना जिला झुंझुनूं।

170. जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लगभग 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन से जोड़ा जायेगा।

171. वर्ष 2021–22 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन के कार्य हेतु 3 हजार 233 गांवों व 2 हजार 606 ढाणियों के लिए 22 परियोजनाओं की DPR तैयार की जायेंगी, जो इस प्रकार हैं–

- बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण–क्लस्टर पार्ट – 'ब' (बाड़मेर–बायतु–सिणधरी) जिला बाड़मेर।
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना फलौदी हैडवर्क्स–बावड़ीकला–खारा–जालौड़ा एवं राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल RD-42 घाटौर–कानासर–बाप (बाप, फलौदी, लोहावट) जिला जोधपुर।
- मलार–जोड़–हिंडाल गोल (बाप, फलौदी) जिला जोधपुर।
- जवाई प्रोजेक्ट क्लस्टर प्रथम (बाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, सुमेरपुर), द्वितीय (पाली, मारवाड़ जंक्शन व रानी) व तृतीय (जैतारण, रायपुर व सोजत) जिला पाली।

- क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मंडली, जैतपुर, पुख्तारी (रोहट) जिला पाली।
- नर्मदा एफआर (जालोर, सांचोर, चितलवाना, बागौड़ा, आहोर, सायला) एवं डीआर क्लस्टर (जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सांचोर, सरनऊ) जिला जालोर।
- कोलायत जल प्रदाय योजना (गजनेर लिफ्ट एवं कोलायत लिफ्ट) जिला बीकानेर।
- बूंगी राजगढ़ पेयजल परियोजना जिला चूरू।
- आपणी योजना एवं सरदार शहर के 60 गांवों की संवर्धन पेयजल परियोजना जिला चूरू एवं हनुमानगढ़।
- गुलण्डी एवं कालीखाड जल प्रदाय योजना जिला झालावाड़।
- पीपलाद पेयजल परियोजना जिला झालावाड़।
- चंबल बूंदी क्लस्टर पेयजल परियोजना जिला बूंदी।
- सिंगोला पेयजल परियोजना जिला बारां।
- चंबल नदी से चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं के 433 गांवों की पेयजल परियोजना।
- बोरावास मंडाना पेयजल परियोजना जिला कोटा।
- छापी झालावाड़ झालरापाटन पेयजल परियोजना जिला झालावाड़।

172. प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत आगामी वर्ष में 476 करोड़ रुपये के कार्य कराये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं—

क्र. सं.	पेयजल परियोजना	लागत
1	बाड़ी–धौलपुर में उच्च जलाशयों की क्षमता बढ़ाने, स्रोतों का निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली के पुनर्गठन कार्य	38 करोड़ रुपये
2	बाड़मेर शहर में उच्च जलाशयों के निर्माण व नयी पाइप लाइन बिछाने संबंधी कार्य	10 करोड़ रुपये
3	उदयपुर जिले के कानोड़, फतहनगर–सनवाड़ एवं उदयपुर शहर में उच्च जलाशयों का निर्माण, पाइप लाइन बिछाने इत्यादि कार्य	35 करोड़ रुपये
4	जयपुर शहर के डिग्गी मालपुरा रोड से टोंक रोड के बीच के क्षेत्र एवं सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में बीसलपुर योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु	115 करोड़ रुपये
5	जयपुर शहर के सीकर रोड स्थित हरमाड़ा एवं बढ़ारना क्षेत्र की पेयजल की स्थायी आधारभूत व्यवस्था हेतु पृथ्वीराज नगर के ट्रांसमिशन सिस्टम से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु	41 करोड़ रुपये
6	शाहपुरा एवं विराटनगर, जिला–जयपुर में उच्च जलाशय एवं पाइप लाइन इत्यादि के कार्य	38 करोड़ रुपये
7	सीकर, लोसल एवं नीमकाथाना क्षेत्र में पेयजल योजना के संवर्द्धन संबंधी कार्य	17 करोड़ रुपये
8	जिला डूंगरपुर के गलियाकोट एवं चितरी–बड़गी जल योजना के पुनर्गठन संबंधी कार्य	33 करोड़ रुपये
9	भीनमाल जिला जालोर में पेयजल समस्या निराकरण के कार्य	50 करोड़ रुपये
10	उदयपुर जिले के वल्लभनगर, भीण्डर, कुराबड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी कार्य	65 करोड़ रुपये
11	राजसमंद की पंचायत समिति राजसमंद एवं रेलमगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी कार्य	30 करोड़ रुपये
12	सहाड़ा–भीलवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र–सहाड़ा, कोशीथल एवं पोटला में जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार एवं सुधार कार्य	4 करोड़ रुपये

173. **चम्बल–भीलवाड़ा पेयजल परियोजना** के अंतर्गत रामसमन्द की भीम व देवगढ़ तहसीलों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने हेतु DPR बनाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2021–22 में 1 हजार 32 करोड़ रुपये की इस परियोजना का कार्य प्रारंभ कर आगामी तीन वर्षों में पूर्ण किया जायेगा। इससे भीम पंचायत समिति के 141 गांव व 633 ढाणियां एवं देवगढ़ पंचायत समिति के 134 गांव व 194 ढाणियां तथा देवगढ़ कस्बे की जनता पेयजल सुविधा से लाभान्वित होंगी।

174. भीलवाड़ा जिले में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हमारे पिछले कार्यकाल में **चम्बल–भीलवाड़ा पेयजल परियोजना, द्वितीय–चरण** स्वीकृत की गई थी। गत सरकार द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराने के कारण यह परियोजना पूरी नहीं हो पायी। अब, इसको पूरा किये जाने के लिए अतिरिक्त 948 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

175. वर्ष 2020–21 में मैंने, बीसलपुर पेयजल परियोजना के अंतर्गत पंचायत समिति केकड़ी, सरवाड़ एवं सावर के 192 गांव एवं 99 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु DPR बनाने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में, 725 करोड़ रुपये की इस परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

176. **पोकरण–फलसूण्ड–बालोतरा–सिवाणा वृहद पेयजल परियोजना** में वर्ष 2038 की पेयजल मांग के अनुरूप पोकरण लिफ्ट के स्थान पर इंदिरा गांधी मुख्य नहर से पानी लिया जाना है। परियोजना में अतिरिक्त 580 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इससे बालोतरा, सिवाणा कस्बे एवं बाड़मेर के 386 गांव लाभांवित होंगे।

177. **नोखा–बीकानेर पेयजल परियोजना** हेतु वर्ष 2020–21 में DPR बनाने की घोषणा की गई थी। आगामी वर्ष में, 750 करोड़ रुपये की इस परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इससे नोखा एवं बीकानेर पंचायत समिति के 137 गांव एवं कोलायत क्षेत्र के 9 गांवों की जनता लाभान्वित होगी।

178. ईसरदा बांध परियोजना दौसा एवं सवाई माधोपुर जिलों में पेयजल की आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी, कोटपूतली, चौमूं, जमवारामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा तहसीलों के 7 कस्बे एवं 1 हजार 394 गांव व अलवर जिले की उमरेण, रैणी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, कठूमर एवं लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के 4 कस्बों एवं 1 हजार 61 गांवों को सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 12 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर बनायी जायेगी।

179. कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से सीकर जिले की तहसील धोद, सीकर, खंडेला, दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर व नीमकाथाना के शेष रहे 864 गांवों एवं 13 कस्बों तथा झुंझुनूं जिले की तहसील चिड़ावा, नवलगढ़ के 269 गांवों एवं 5 कस्बों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की इस योजना की लागत 7 हजार 700 करोड़ रुपये होगी। आगामी वर्ष में इसके कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।

180. राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज–तृतीय आधारित 1 हजार 458 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना की वर्ष 2020–21 में घोषणा की गयी थी। उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु जायका (JICA) से वित्त पोषण की व्यवस्था की गयी है। इसके कार्य आगामी वर्ष में प्रारंभ किये जायेंगे।

181. झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी एवं सूरजगढ़ कस्बे तथा 921 गांवों व 573 ढाणियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आगामी वर्ष में जायका द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।

182. माननीय सदस्यों के माध्यम से पेयजल समस्या संबंधी प्रस्ताव काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 40 हैण्डपम्प एवं 10 ट्यूबवेल तक लगवाये जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, डीडवाना–नागौर, नारायणपुर–अलवर, कामां–भरतपुर, फागलिया–बाड़मेर में AEn Office व कुचामनसिटी–नागौर में Ex En Office खोला जायेगा।

183. जोधपुर शहर की 10 आवासीय योजनाओं–राजीव गांधी नगर, रामराज नगर, ढेगड़ी–चौखा, आरके पुरम–चौखा, सुन्दर सिंह भण्डारी नगर, मण्डलनाथ आवास, लौहड़ी पंडितजी, विजयराजे सिंधिया नगर, मोगड़ा कर्मचारी कॉलोनी, मोगड़ा ट्रांसपोर्ट योजना में पेयजल की सुचारु व्यवस्था हेतु लगभग 76 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

184. पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनदायिनी, 37 हजार करोड़ रुपये लागत की **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP)** को धरातल पर लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिलों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु **ERCP** परियोजना बनायी गयी, जो कि बाड़मेर रिफाइनरी के पश्चात् प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है।

मैं हमारे विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 7 जुलाई, 2018 एवं 6 अक्टूबर, 2018 को जयपुर व अजमेर की सभाओं में किये वादे के अनुसार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है। 20 फरवरी, 2021 को नीति आयोग की बैठक के दौरान भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका वादा पुनः याद दिलाते हुए आग्रह किया कि उनका वादा उन्हें ही पूरा करना है। साथ ही बताया कि, इस प्रकार की 16 अन्य परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया हुआ है। ये परियोजनायें–असम, आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में स्थित है। अतः राजस्थान की ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना, समझ से परे है तथा प्रदेश के साथ भेदभाव की श्रेणी में आता है।

हालांकि केन्द्र ने हमारे निरंतर आग्रह के पश्चात् भी इसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराये हैं। परन्तु, हम अपने संसाधनों से इसका कार्य जारी रखेंगे। परियोजना के अंतर्गत कालीसिंध नदी पर प्रगतिरत नवनेरा बैराज के निर्माण पर 167 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं तथा द्वितीय चरण में नवनेरा–गलवा–बीसलपुर–ईसरदा लिंक का कार्य आरंभ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, धौलपुर में 60 करोड़ रुपये की लागत से कालीतीर लिफ्ट परियोजना का कार्य भी शुरू किया जायेगा। इनके लिए मैं, कुल 320 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

185. बारां–झालावाड़–कोटा जिलों की महत्वाकांक्षी **परवन वृहद् सिंचाई परियोजना** को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाये जाने हेतु हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में, ERCP के साथ ही इस परियोजना के लिए भी मंत्रिमण्डल प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को आग्रह किया जा

चुका है। परियोजना के बांध व टनल निर्माण कार्यों के साथ–साथ, लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रेशराईज्ड पाइप तकनीक से कमाण्ड क्षेत्र विकसित करने के कार्य प्रगति पर हैं। योजना पर अब तक लगभग 3 हजार 300 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। मैं, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 885 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

186. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project-RWSLIP) के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। आगामी वर्ष में, इस परियोजना पर 465 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, जिससे 21 जिलों के 2 लाख 62 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लगभग 5 लाख काश्तकार लाभांवित होंगे।

187. रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area-RWSRPD) में लगभग 378 करोड़ रुपये की लागत से 49 किलोमीटर लंबाई में इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर तथा वितरिकाओं एवं माईनरों के जीर्णोद्धार कार्य करवाये जायेंगे।

188. राजस्थान फीडर एवं सरहिन्द फीडर की रिलाइनिंग के कार्यों पर आगामी वर्ष में 250 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

189. आगामी वर्ष में **रिपेयर–रिनोवेशन–रेस्टोरेशन** (RRR) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 14 जिलों–जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, सीकर, टोंक, भरतपुर, अजमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां एवं बूंदी के विभिन्न जलाशयों में 124 करोड़ 71 लाख रुपये के 37 कार्य

किये जायेंगे। इससे 7 हजार 380 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाकर लगभग 2 लाख किसानों को लाभांवित किया जायेगा।

190. हमारी सरकार बांधों के समग्र जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण के लिए कटिबद्ध है। वर्ष 2020–21 के बजट में मैंने, **बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP)** के अंतर्गत 18 बांधों के जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ करने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में, 70 करोड़ 54 लाख रुपये की लागत से 18 और बांधों–जग्गर (हिण्डौन)–करौली, बरेठा–बयाना–भरतपुर, मोरा सागर (बामनवास)–सवाई माधोपुर, सिलीबैरी (उमरेण)–अलवर, सैंथल सागर –दौसा, नन्दसमंद (नाथद्वारा)–राजसमंद, वागन (डूंगला), बड़ी मानसरोवर (निम्बाहेड़ा)–चित्तौड़गढ़, भंवरसैमला (पीपलखूंट)–प्रतापगढ़, सुरवानिया–बांसवाड़ा, गोवटा (मांडलगढ़) एवं मेजा (मांडल)–भीलवाड़ा, चिनार (आबू रोड), कादम्बरी एवं कैर (पिण्डवाड़ा)–सिरोही, बांकली (आहोर)–जालोर, सादड़ी (देसूरी)–पाली एवं भीमलत (हिण्डौली)–बूंदी के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य करवाये जायेंगे।

191. **इंदिरा गांधी नहर परियोजना–द्वितीय चरण** की लिफ्ट योजनाओं में प्रेशर सिंचाई पद्धति स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में 1 हजार 658 करोड़ 81 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी थी, परंतु केन्द्र सरकार द्वारा अपनी पूर्ण हिस्सा राशि नहीं दी गई तथा बाद में इस योजना को बंद कर दिया। अब चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर व जोधपुर जिलों के कृषकों को मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए, 3 लिफ्ट योजनाओं–चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट एवं करणीसिंह

लिफ्ट के कार्यों हेतु आगामी वर्ष में, 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

192. करौली जिले की भद्रावती नदी को पुनर्जीवित किये जाने हेतु आगामी वर्ष में 30 करोड़ रुपये के कार्य कराये जायेंगे।

193. आमजन की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में धूलेट खानपुर मार्ग में कालीसिंध नदी पर बनी पुलिया को एनिकट में बदला जायेगा। इससे 180 लाख क्यूबिक फीट अतिरिक्त जल संगृहीत किया जा सकेगा।

194. खाजूवाला–बीकानेर की धौधा, भूट्टोवाली वितरिका एवं बिरसलपुर शाखा का 135 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जायेगा।

ऊर्जा :

195. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 30 वर्षों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता के उद्देश्य से **ऊर्जा नीति : 2021–2050** जारी की जायेगी।

196. हमारी सरकार ने गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011 में सौर ऊर्जा नीति एवं वर्ष 2012 में पवन ऊर्जा नीति जारी की थी। इसके फलस्वरूप, आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की स्थापित क्षमता 5002 मेगावाट हो गयी है, जो कि देश में दूसरे स्थान पर है। साथ ही, राज्य में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता भी 4337 मेगावाट हो चुकी है।

197. सौर एवं पवन ऊर्जा के प्रसारण तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता का **ग्रीन कॉरिडोर** विकसित करना प्रस्तावित है, जिससे राज्य के पोकरण, रामगढ़–जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर तथा जोधपुर जिले में अक्षय ऊर्जा की नयी परियोजनायें शुरू की जा सकेंगी।

198. गत दो वर्षों के दौरान छबड़ा में 660 मेगावाट एवं सूरतगढ़ में 660 मेगावाट की तापीय परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सूरतगढ़ क्रिटिकल तापीय परियोजना की एक और इकाई (इकाई–8) से 660 मेगावाट का वाणिज्यिक उत्पादन जून माह तक प्रारम्भ हो जायेगा।

199. राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए–

- बागावास अहिरान (विराटनगर)–जयपुर तथा बेगूं, गंगरार–चित्तौड़गढ़ में 33 केवी के जीएसएस बनाये जायेंगे। साथ ही, माणकासर डूंगरगढ़ (खाजूवाला)–बीकानेर में 33 केवी जीएसएस का विस्तार किया जायेगा।
- नारायणपुर–अलवर, मण्डरायल–करौली, फागलिया (चौहटन) –बाड़मेर, मलारना डूंगर–सवाई माधोपुर तथा सीकरी–भरतपुर में सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय खोले जायेंगे।

वन एवं पर्यावरण :

200. जनजाति क्षेत्रों में **सामुदायिक वन अधिकार** पट्टे उपलब्ध कराने के लिए, आगामी वर्ष में अप्रेल से जुलाई माह तक अभियान चलाकर, 9

अगस्त को विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर पट्टे वितरित किये जायेंगे। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से सुनिश्चित करने के लिए Commissioner TAD की अध्यक्षता में Task Force का गठन किया जायेगा।

201. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर विश्व में पक्षियों की शरणस्थली के रूप में विख्यात है। यह यूनेस्को हेरिटेज एवं रामसर recognised साइट है। इसके महत्व को देखते हुए इसे Wetland Birds Habitat Conservation Centre के रूप में विकसित किया जायेगा। साथ ही, जैव विविधता के संरक्षण एवं पक्षियों हेतु जलाशयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के लिए चम्बल नदी से जल लाने के लिए लगभग 570 करोड़ रुपये की योजना की DPR तैयार की जायेगी।

202. तालछापर अभ्यारण्य, चूरू में **वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र** स्थापित किया जायेगा।

203. चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य के खण्डार–सवाई माधोपुर खण्ड में पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्य करवाये जायेंगे।

204. जोधपुर में 8 मील पर स्थित वन विभाग की भूमि पर, जयपुर के कर्पूर चन्द कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर 20 करोड़ रुपये की लागत से वॉकिंग ट्रेक, योगापार्क, हर्बल गार्डन इत्यादि सुविधायुक्त **'पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन'** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।

205. राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसको बढ़ावा देने के लिए **'घर–घर औषधि योजना'** शुरू की

जायेगी। जिसके अंतर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराये जायेंगे।

206. राज्य के ऐसे शहरों में जहां सीवरेज सुविधा नहीं हैं वहां पर दो वर्षों में Faecal (फिकल) Sludge Treatment Plants (FSTP) स्थापित किये जायेंगे। प्रथम चरण में, आगामी वर्ष में, 24 जिलों के 50 शहरों में FSTP लगाये जायेंगे, जिस पर 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा। ये शहर हैं—

क्र. सं.	जिला	शहर
1	अजमेर	केकड़ी, बिजयनगर
2	अलवर	बहरोड़, खैरथल, थानागाजी
3	बारां	छबड़ा, अंता
4	बीकानेर	डूंगरगढ़
5	भरतपुर	बयाना, रूपबास
6	भीलवाड़ा	गुलाबपुरा, मांडलगढ़, आसींद
7	बूंदी	लाखेरी
8	चित्तौड़गढ़	रावतभाटा
9	चूरू	राजगढ़, राजलदेसर, तारानगर, बीदासर
10	धौलपुर	राजाखेड़ा
11	डूंगरपुर	सागवाड़ा
12	हनुमानगढ़	नोहर, संगरिया, रावतसर
13	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़, केसरीसिंहपुरा
14	जयपुर	कोटपूतली, किशनगढ़–रेनवाल, चाकसू
15	जालोर	भीनमाल, सांचोर
16	जोधपुर	पीपाड़ सिटी, बिलाड़ा
17	झुंझुनूं	उदयपुरवाटी, पिलानी, बगड़, विद्या विहार (पिलानी)
18	कोटा	रामगंज मंडी
19	नागौर	डेगाना, मेड़ता सिटी, परबतसर
20	पाली	सोजत, सादड़ी, रानी

21	सिरोही	शिवगंज
22	सीकर	लोसल, श्रीमाधोपुर
23	टोंक	टोंक, निवाई
24	उदयपुर	सलूंबर

207. हमारे द्वारा पृथ्वीराज नगर–जयपुर के निवासियों को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने संबंधी कार्य प्राथमिकता से करवाये जा रहे हैं। आगामी वर्ष में, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम की डीपीआर का कार्य पूरा कर लगभग 200 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।

208. अस्पतालों के liquid एवं solid waste का निस्तारण पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में प्रदेश के बड़े अस्पतालों RUHS, SMS अस्पताल, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय–जयपुर, महात्मा गांधी अस्पताल–जोधपुर, पीबीएम अस्पताल–बीकानेर तथा मेडिकल कॉलेज–कोटा से संबद्ध अस्पतालों में 25 करोड़ रुपये की लागत से Sewerage Treatment Plants स्थापित किये जायेंगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

209. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु पिछले वर्ष मैंने **पर्यटन विकास कोष** के गठन की घोषणा की थी। कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। पर्यटन गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए अब मैं, आगामी वर्ष में पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करता हूँ। इसमें 200 करोड़ रुपये प्रदेश की tourist destination के रूप

में branding करने तथा 300 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना व निवेश आदि के लिए खर्च किये जायेंगे।

210. **शेखावाटी पर्यटन सर्किट** विकसित किया जायेगा, जिसमें लोहार्गल, शाकम्भरी माता मंदिर, हर्षनाथ पहाड़ी, जीणमाता मंदिर, नवलगढ़, डूंडलोद, मंडावा, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़ शेखावाटी, महनसर, अलसीसर, मलसीसर एवं खेतड़ी सम्मिलित किये जायेंगे। साथ ही, पर्यटक सूचना केन्द्र, सीकर को पर्यटक स्वागत केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

211. पाली के रणकपुर क्षेत्र, सोनाणा खेतलियाजी मंदिर, जवाई क्षेत्र व बाली दुर्ग; जालोर के सुंधा माता व जालोर दुर्ग;बाड़मेर के आसोतरा, सिरोही के अर्बुदा धाम, अधर देवी, अचलगढ़, मारकुण्डेश्वर धाम, अम्बेश्वर जी व भेरूतारक धाम आदि स्थलों को **गोडवाड पर्यटन सर्किट** के रूप में विकसित किया जायेगा।

212. RTDC द्वारा संचालित Midway यात्रियों में काफी लोकप्रिय रहे हैं। इनमें से 7 महत्वपूर्ण Midway इकाइयों बर–पाली, बहरोड़–अलवर, रतनगढ़–चूरू, पोकरण–जैसलमेर, फलौदी–जोधपुर, देवगढ़–राजसमंद एवं शाहपुरा–जयपुर का 10 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कर सुचारु संचालन किया जायेगा।

213. राज्य में **सर्वधर्म समभाव** को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख **हिन्दू तीर्थस्थलों** जैसे चारभुजा, नाथद्वारा–राजसमंद, गौतम ऋषि मंदिर–सिरोही, पुष्कर–अजमेर, कोलायत–बीकानेर, खाटूश्यामजी–सीकर, मेहंदीपुर

बालाजी–दौसा, डिग्गी कल्याणजी–टोंक; प्रमुख **जैन तीर्थस्थलों** यथा तिजारा–अलवर, श्रीमहावीरजी–करौली, चमत्कारजी–सवाई माधोपुर, बाड़ापदमपुरा, सांगानेर–जयपुर, देलवाड़ा, अचलगढ़, माउंट आबू–सिरोही, रणकपुर–पाली व चाँदखेड़ी–खानपुर–झालावाड़; प्रमुख **सिख तीर्थस्थलों** यथा बुड्डा जोहढ़–श्रीगंगानगर, नरायना, खालसा हैरिटेज कॉम्पलेक्स–जयपुर, पुष्कर–अजमेर, गुरूद्वारा श्री कलगीधर–बागौर साहिब व माण्डल–भीलवाड़ा तथा प्रमुख **मुस्लिम तीर्थस्थलों** यथा सरवाड़ दरगाह–अजमेर, दरगाह तन्हा पीर मण्डोर–जोधपुर, दरगाह कपासन–चित्तौड़गढ़, हमीदुद्दीन दरगाह–नागौर, मिठ्ठेशाह दरगाह–झालावाड़, नरहड़ की दरगाह–झुंझुनूं, हकीम साहब की दरगाह–सीकर, दरगाह मीर कुर्बान अली, दरगाह चारदरवाजा व दरगाह सांभर–जयपुर के **धार्मिक पर्यटन सर्किट** बनाये जायेंगे। इस पर 100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

214. उदयपुर में पर्यटकों की सुविधा एवं आकर्षण हेतु फतेहसागर में स्थित नेहरू पार्क, रानी–रोड तथा मायरा की गुफा (महाराणा प्रताप शस्त्रागार), गोगुन्दा के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्यों पर 19 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

215. जोधपुर में मेहरानगढ़ किले में जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बालसमंद घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ किले तक सड़क मार्ग के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, माचिया किले के संरक्षण एवं शहीद स्मारक के विकास के कार्य 2 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

216. पर्यटकों के आकर्षण एवं मनोरंजन हेतु पुष्कर–अजमेर स्थित होकरा में 90 हेक्टेयर में तथा सूरजकुण्ड में 150 हेक्टेयर में Tourist Complex हेतु बहुउद्देशीय योजना बनाई जायेगी।

217. देशी–विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह जैसलमेर में Tourism को बढ़ावा देने के लिए **ढोला मारू Tourist Complex** बनाने की घोषणा करता हूँ। यह Complex मूलसागर एवं अमर सागर सम रोड पर लगभग 3500 बीघा भूमि पर बनाया जायेगा। इसमें पर्यटकों के आकर्षण व मनोरंजन हेतु रिसोर्ट, मोटल, फार्म हाउस आदि स्थापित किये जायेंगे। इसकी DPR के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसी कॉम्पलेक्स में **Rajasthan Folk Art Training Institute** की स्थापना भी की जायेगी।

218. लक्ष्मणगढ़–सीकर के धार्मिक पर्यटक स्थल–श्री सांगलपति आश्रम, कुमास जागीर, गुलाबजति आश्रम–गाड़ोदा, श्री गोसांई मंदिर–कटेवा, गोविन्द नाथ जी आश्रम–डूडवा एवं भक्त शिरोमणि कर्माबाई मंदिर–घस्सू का बास में विभिन्न विकास कार्य करवाये जायेंगे।

219. पांचोताकुण्ड (नावां)–नागौर, ऐतिहासिक पुरास्थल घाट की गुणी–जयपुर, सर्वेश्वर मंदिर स्थल–बांसवाड़ा, राजा मौरध्वज नगरी गढ़मौर (टोडाभीम)–करौली, जोगणिया माता (बेगूं)–चित्तौड़गढ़, बिजवामाता मंदिर मोदपुर (आसपुर)–डूंगरपुर व बलेश्वर (नीमकाथाना)–सीकर आदि पर्यटक केन्द्रों के विकास कार्य करवाये जायेंगे।

220. राज्य में Day Tourism, Rural Tourism, Tribal Tourism व Adventure Tourism को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Viability Gap Funding

योजना लायी जायेगी। इसके अंतर्गत छोटे पर्यटक स्थलों यथा खींचन, खेजड़ली, ओसियां–जोधपुर, भानगढ़–अलवर, सांभर, सामोद–जयपुर व अन्य स्थलों को विकसित करने तथा मुख्य पर्यटक स्थलों से जोड़ने के लिए Luxury Tourist वाहनों का संचालन किया जायेगा।

221. प्रदेश के जरूरतमंद कलाकारों को सहायता उपलब्ध कराने, राजकीय संरक्षण प्रदान करने, उनके कल्याण एवं संबल के लिए **कलाकार कल्याण कोष** में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

222. राजस्थान को Film Destination के रूप में promote करने तथा राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति** लागू की जायेगी। इससे राजस्थानी भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत–

- राजस्थानी फिल्मों के निर्माण हेतु 25 लाख रुपये तक का Incentive Support दिया जायेगा।
- राजस्थानी फिल्मों हेतु SGST में शत प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- राजस्थान में फिल्म सिटी के निर्माण हेतु Viability Gap Funding दी जायेगी।
- समस्त स्वीकृतियों के लिए single window clearance system अपनाया जायेगा।

223. प्रदेशभर के कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने के लिए सभी जिलों में 30 मार्च को राजस्थान दिवस पर **'राजस्थान उत्सव'** का आयोजन किया जायेगा।

224. राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए प्रदेश के 10 हजार प्रतिभाशाली युवाओं, कलाकारों एवं साहसिक खिलाड़ियों के लिए Nehru Youth Cultural Exposure Programme चलाया जायेगा।

कानून व्यवस्था :

माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि आजादी के कई वर्षों बाद भी थानों में FIR दर्ज करवाना कितना कठिन काम था। पहले लोग मारे–मारे फिरते थे, फिर भी FIR दर्ज नहीं होती थी। हमारी सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2019 में थानों में FIR निर्बाध रूप से दर्ज करवाना सुनिश्चित किया। पहले आम धारणा थी कि ज्यादा FIR होने का मतलब है कि ज्यादा अपराध होना परन्तु FIR अनिवार्य करने से संख्या बढ़ सकती है, किन्तु पीड़ितों को न्याय मिलता है और यही बात **नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो** की वार्षिक रिपोर्ट में देखने को मिलती है।

माननीय सदस्यों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आँकड़ों के मायाजाल व अनावश्यक आलोचना से बचकर हमारे इस कदम को Appreciate करें।

हमने महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की त्वरित जांच के लिए हर पुलिस जिले में '**Special Investigation Unit for Crime Against Women**' का गठन कर वहां महिला अधिकारी तैनात किये। इसके अलावा, जघन्य अपराधों के पर्यवेक्षण एवं अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर **Heinous Crime Monitoring Unit** स्थापित की है। थानों में आने वाले पीड़ित नागरिकों को सकारात्मक माहौल मिले इस हेतु अब

तक राज्य के 341 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बना दिये हैं और बाकी पुलिस थानों में भी यह कार्य जल्दी ही पूरा हो जायेगा।

ये सभी कदम हमारी सरकार की संवेदनशीलता के परिचायक हैं। राज्य में त्वरित न्याय की सुविधा उपलब्ध कराने, अपराधों की रोकथाम करने व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ–साथ पुलिस को आधुनिक एवं सशक्त बनाये जाने के लिए हम प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं–

225. लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों (Medical Colleges) की DNA Finger Printing सुविधाओं एवं विशेषज्ञों की सेवायें लेते हुए, जांच सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।

226. प्रदेश में जघन्य अपराधों की रोकथाम, आदतन अपराधियों की पहचान एवं आपराधिक रिकॉर्ड रखे जाने हेतु Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा।

227. आगामी वर्ष में, कुचामन–नागौर, बामनवास–सवाई माधोपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय; बानसूर–अलवर, तारानगर–चूरू, लोहावट–जोधपुर, नदबई–भरतपुर व आसपुर–डूंगरपुर में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय तथा बगरू–जयपुर में सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय खोले जायेंगे।

228. प्रदेश के मौजमाबाद (दूदू), रेनवाल मांझी–जयपुर, नोहर–हनुमानगढ़, चौरासी, ओबरी–डूंगरपुर, कल्याणपुर (खैरवाड़ा)–उदयपुर तथा रिफाईनरी पचपदरा–बाड़मेर में नये पुलिस थाने खोले जायेंगे। साथ ही, बार (भीम–देवगढ़)–राजसमंद, भाब्रू (विराटनगर)–जयपुर की पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा तथा मालाखेड़ा–अलवर ग्रामीण,

साड़ास (बेगूं)–चित्तौड़गढ़, गांधीनगर (किशनगढ़)–अजमेर थाने को सीआई स्तर थाने में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 25 नवीन पुलिस चौकियां स्थापित की जायेंगी।

229. राज्य में नकली नोट, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंककारी गतिविधियों, गैरकानूनी संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी एवं कार्यवाही हेतु राजगढ़–चूरू में एसओजी तथा बीकानेर व भरतपुर में एटीएस की चौकियाँ बनायी जायेंगी। साथ ही, जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा, SMS Hospital, Jaipur तथा जयपुर–अजमेर Highway पर अपराधों के नियंत्रण हेतु जयपुर आयुक्तालय में तीन नवीन थाने बनाये जायेंगे।

230. जयपुर एवं जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की वर्तमान संचार प्रणाली को बेहतर एवं सुरक्षित बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से APCO Phase II Digital Radio Trunking System स्थापित किया जायेगा।

231. Rajasthan Police Housing Construction Corporation को और व्यापक बनाते हुए Rajasthan Police Infrastructure Development Corporation के रूप में पुनर्गठित किया जायेगा।

232. प्रदेश की जेलों में बुनियादी सुविधायें बेहतर करने के क्रम में कैदियों के रहने की बैरक, भोजनशाला एवं शौचालयों इत्यादि की मरम्मत–सुदृढ़ीकरण, 40 खुले बंदी शिविरों में 240 आवासों का निर्माण, 26 जिला कारागृहों में एम्बुलेंस एवं सुरक्षा उपकरण जैसे Non Linear Junction Detector (NLJD) इत्यादि उपलब्ध कराने तथा उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर

के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन पर लगभग 31 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आयेगी।

233. भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति के क्रम में संदिग्ध टेलीफोन कॉल्स एवं SMS द्वारा रिश्वतखोरी के प्रकरणों की जांच हेतु ACB में Digital Voice Logger की स्थापना की जायेगी।

234. आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में–

- वैर–भरतपुर, डूंगरगढ़–बीकानेर, नैनवा–बूंदी, सरदारशहर–चूरू, अनूपगढ़–श्रीगंगानगर, नीमकाथाना–सीकर, जालोर, गंगापुरसिटी–सवाई माधोपुर, सिरोही, नसीराबाद–अजमेर, कठूमर–अलवर, लाडनूं–नागौर व सादुलशहर–श्रीगंगानगर में **अपर जिला एवं सैशन न्यायालय** खोले जायेंगे। साथ ही, थानागाजी–अलवर व कुचामन सिटी–नागौर में कैम्प कोर्ट खोले जायेंगे।
- बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा व जोधपुर में **वाणिज्यिक न्यायालय खोले जायेंगे।**
- गोगुन्दा–उदयपुर, बालेसर–जोधपुर, पीलीबंगा व रावतसर–हनुमानगढ़, दौसा, थानागाजी व मुण्डावर–अलवर, छबड़ा–बारां, खाजूवाला–बीकानेर व हिण्डौली–बूंदी में **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** खोले जायेंगे।

– श्रीमाधोपुर–सीकर, टोंक, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनूं, सोजत, सुमेरपुर–पाली व निवाई–टोंक में **अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** खोले जायेंगे।

– गंगापुर–भीलवाड़ा, नोखा–बीकानेर, संगरिया–हनुमानगढ़ व लक्ष्मणगढ़–सीकर में **सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** खोले जायेंगे।

– पाली, राजसमंद व अलवर में **विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय** खोले जायेंगे।

सुशासन :

अध्यक्ष महोदय, हमारा ध्येय आमजन की सेवा करते हुए संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन देना है। राज्य के सबसे जरुरतमंद व्यक्ति तक हम सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं। सुशासन के कुछ लक्ष्य कई बार असंभव–से लगते हैं, मगर जब पूरे मनोयोग से हम कोशिश करते हैं, तो वो असंभव भी संभव बन जाता है। मुझे स्वामी विवेकानंद की ये पंक्तियां याद आ रही हैं–

'संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है,
असंभव से भी आगे निकल जाना।'

235. सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरुरतमंद लाभार्थियों एवं टारगेट ग्रुप तक सहजता, सुगमता व समय से पहुंचे, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं, **Social & Performance Audit Authority** के गठन की घोषणा करता हूँ।

236. प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु—

- नीमकाथाना—सीकर में एडीएम कार्यालय, नेछवा—सीकर, नारायणपुर (बानसूर)—अलवर, रतनगढ़—चूरू, लवाण—दौसा में नवीन उपखण्ड कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित हैं। साथ ही, तहसील गोविंदगढ़—अलवर को उपखण्ड कार्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया जायेगा।
- श्री महावीरजी (हिण्डौन)—करौली, आऊ (लोहावट)—जोधपुर, टपूकड़ा (तिजारा), नौगावा (रामगढ़)—अलवर, कल्याणपुर (पचपदरा)—बाड़मेर, नगरफोर्ट (उनियारा)—टोंक, मित्रपुरा (बामनवास)—सवाई माधोपुर, बहरावण्डा (सिकराय), बैजुपाड़ा, सैंथल (महुवा)—दौसा, बस्सी—चित्तौड़गढ़, माधोराजपुरा (चाकसू), आंधी—जयपुर व गुढागौड़जी (उदयपुरवाटी)—झुंझुनूं की उप तहसीलों को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत किया जाना व जोबनेर—जयपुर, दोवड़ा—आसपुर व बाड़मेर (ग्रामीण) में नवीन तहसील खोला जाना प्रस्तावित है।
- फेफना (नोहर)—हनुमानगढ़, आनंदपुर कालू (जैतारण)—पाली, किशनगढ़—अजमेर, बिचून (दूदू)—जयपुर, गुढ़ा कटला (बांदीकुई), पापड़दा (सिकराय), कुण्डल—दौसा, साहवा (तारानगर), कातर छोटी—चूरू, बनकोडा (आसपुर), ओबरी (सागवाड़ा)—डूंगरपुर, कोयला (अंता)—बारां, दूदवा (पचपदरा)—बाड़मेर, रींगस—सीकर, जावदा (बेगूं)—चित्तौड़गढ़, गंडाला (बहरोड़)—अलवर, चितावा—नागौर, गुढा चन्द्र

(टोडाभीम)–करौली, रायथल–बूंदी तथा दिवेर (भीम–देवगढ़)–राजसमंद में नयी उप तहसील खोली जायेंगी।

237. प्रदेश में कोटकासिम–अलवर, बोरावड–नागौर, धरियावद–प्रतापगढ़, गोविंदगढ, बरड़ौद–अलवर व ऋषभदेव–उदयपुर को नगर पालिका बनाया जायेगा।

238. विभिन्न राजकीय योजनाओं को ऑनलाइन करने में दस्तावेजों व भौतिक सत्यापन के माध्यम से पात्रता का प्रमाणीकरण एक बड़ी बाधा है। आपको जानकार प्रसन्नता होगी कि समस्त योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य करते हुए 2 अक्टूबर, 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर पूर्ण कर लिया जायेगा।

239. राजस्थान का भामाशाह स्टेट डाटा सेन्टर देश का अग्रणी, Tier-IV Standard का डाटा सेन्टर है। इसके माध्यम से राज्य व अन्य राज्यों के विभिन्न विभागों तथा निकायों के साथ–साथ स्टार्टअप्स एवं निजी क्षेत्र को भी आईटी की सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी। हमें विश्वास है कि देश में डाटा सेन्टर की सेवाओं से राजस्व प्राप्त करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य होगा।

240. भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के साथ–साथ प्रदेश के विकास में उनके अनुभव का लाभ लेने की दृष्टि से विभिन्न चयनित पदों पर सेवा नियमों में प्रावधान करते हुए lateral entry से सरकारी सेवा में आने के अवसर प्रदान किये जायेंगे। इससे लगभग 5 हजार भूतपूर्व सैनिकों को लाभांवित किया जायेगा।

241. हमारे पिछले कार्यकाल में **प्रशासन गांवों के संग** तथा **शहरों के संग अभियान** बहुत कामयाब रहे हैं। शहरों के संग अभियान में पांच लाख पट्टे भी बांटे गये थे। अतः आगामी वर्ष में, नियमों का सरलीकरण कर 1 मई, 2021 से **'प्रशासन गांवों के संग'** तथा 2 अक्टूबर, 2021 से **'प्रशासन शहरों के संग'** अभियान चलाये जायेंगे।

242. राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए मैं, 3 हजार करोड़ रुपये की राशि से **कार्मिक कल्याण कोष** के गठन की घोषणा करता हूँ।

243. कोविड–19 की परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि **Bar Council of Rajasthan** को सहायता प्रदत्त करने की घोषणा करता हूँ।

244. **Central Government Health Scheme (CGHS)** के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी–निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी–अधिकारियों तथा पेंशनरों को cashless एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **CGHS** की तर्ज पर **Rajasthan Government Health Scheme (RGHS)** लागू करने की मैं, घोषणा करता हूँ।

245. राज्य कर्मचारियों के लिए लागू **समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना** में देय राशि 3 लाख रुपये के वर्तमान विकल्प के साथ–साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए प्रीमियम के आधार पर उनकी श्रेणी के अनुसार, 10 लाख, 20 लाख एवं 30 लाख रुपये का विकल्प भी दिया जाना प्रस्तावित है।

246. कोविड–19 से उपजी विषम आर्थिक स्थितियों से निबटने में हमें प्रदेश के अधिकारियों–कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने अपने वेतन के एक अंश का सहयोग राशि के रूप में योगदान दिया। अब मैं, सभी कार्मिकों का आभार व्यक्त करते हुए, उनके कोरोना के कारण डेफर किये गये वेतन, लगभग 1 हजार 600 करोड़ रुपये को release करने की घोषणा करता हूँ।

247. प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले संविदाकर्मियों की समस्याओं के समाधान व उनके हितों का संरक्षण करने के लिए अलग से सेवा नियम बनाने की घोषणा करता हूँ। इससे संविदाकर्मियों का विभागवार Cadre बनाया जायेगा।

248. राज्य के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान–**HCM RIPA, जयपुर** में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, सिविल सोसायटी एवं आमजन की Capacity Building हेतु प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करते हुए 25 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जायेगा।

249. विभिन्न विभागों की योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों व भुगतान प्रक्रियाओं में जटिलता होने के कारण आमजन, जनप्रतिनिधिगण तथा कर्मचारी–अधिकारियों को देय लाभ समय से प्राप्त नहीं हो पाते। अतः इस प्रक्रिया का सरलीकरण व ऑनलाइन कर दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए Deemed तथा Auto Approval जैसे प्रावधान किये जायेंगे।

250. हमारी गत सरकार के समय तथा गत दो वर्षों में प्रस्तुत किये गये बजट से आम जनता के साथ–साथ जनप्रतिनिधिगणों में भी आशा का संचार हुआ है। इस कारण कई माननीय विधायकगणों के माध्यम से मुझे उनके क्षेत्रों में कई छोटे किन्तु महत्वपूर्ण कार्य कराने, संस्थाओं को खोलने व अपग्रेड कराने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं यथा आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नये विषय व संकाय, नये जीएसएस, नये उप स्वास्थ्य केन्द्र–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सा केन्द्र, पुलिस चौकी आदि। यद्यपि ऐसे प्रत्येक कार्य के लिए नाम व स्थान से बजट में प्रस्तावित किया जाना संभव नहीं है। किन्तु, मैं यहां आश्वस्त करना चाहूँगा कि ऐसे कार्यों को करने के लिए आवश्यकतानुसार समुचित प्रावधान करते हुए, संबंधित विभागों को यथोचित निर्देश दिये जाते रहेंगे।

251. अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से हमने प्रदेश के हर क्षेत्र, हर उम्र, हर वर्ग की आकांक्षाओं, उम्मीदों और सपनों को पूरा करने का पुरजोर प्रयास किया है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि हमने बजट में जो भी योजनायें प्रस्तावित की हैं, उनको समयबद्ध रूप से कुशलतापूर्वक लागू किया जायेगा ताकि हम अपने प्रदेश को प्रगति के शिखर पर ले जा सकें। मैं, सभी माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहूँगा कि, उन्नति के इस सफर पर हम सबको साथ और बहुत दूर तक चलना है–

'मेरे हौंसलों में अभी जान बाकी है
ये तो दौड़ भर थी अभी उड़ान बाकी है,
मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना
ये तो शुरूआत भर थी अंजाम अभी बाकी है।'

कर प्रस्ताव

252. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

253. राज्य में कई अलाभकारी सामाजिक संस्थायें, मानवीय एवं सर्वधर्म सद्भाव की भावना से विशेष योग्यजन, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, भिक्षावृति में संलिप्त एवं नशे से पीड़ित परिवारों की देखभाल तथा सामाजिक सरोकार के सराहनीय कार्य कर रही है।

ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिये Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) की तर्ज पर **सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (Social Security Investment Promotion Scheme: SSIPS-2021)** लागू करने की घोषणा करता हूँ।

इस योजना में SGST का पुनर्भरण, Motor Vehicle Tax, स्टाम्प ड्यूटी, लीज राशि, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, नियमन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में छूट तथा ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इसमें बड़ी परियोजनाओं के लिये **Customized Package** का भी प्रावधान रहेगा।

इन संस्थाओं के पक्ष में प्राईवेट व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अचल सम्पत्ति का दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत् प्रतिशत छूट दी जायेगी।

254. जयपुर शहर में 50 करोड़ रुपये की लागत से **Centre of Excellence for Revenue Research and Analysis** स्थापित करने

http://finance.rajasthan.gov.in/

की घोषणा करता हूँ। इसमें Commercial Taxes, Registration & Stamps, Excise, Transport, Mines आदि विभागों में राजस्व वृद्धि के लिये Analysis, Fraud detection एवं नीति निर्धारण का कार्य किया जायेगा।

इसी भवन में State Directorate of Revenue Intelligence (SDRI) का कार्यालय भी स्थापित किया जायेगा।

255. कर चोरी की सूचना देने पर SDRI में **'मुखबिर प्रोत्साहन योजना'** संचालित है। इसे Commercial Taxes, Registration & Stamps, Excise, Transport, Mines आदि विभागों में भी लागू किया जाकर नकद प्रोत्साहन राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर **1 लाख** रुपये अधिकतम किया जायेगा।

256. राजस्व अर्जन विभागों में महत्वपूर्ण प्रक्रियाऐं यथा पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी का Refund, विद्युत शुल्क, खनिज जिप्सम के परमिट, परिवहन विभाग के Tax Clearance Certificate एवं Permit आदि का सरलीकरण किया जाकर Online किया जायेगा।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग :

257. हम आमजन की सुविधा के लिये पंजीयन प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनायेंगे। इस दृष्टि से मैं चरणबद्ध रूप से **"Anywhere-Online Registration"** प्रणाली लागू करने की घोषणा करता हूँ। इससे आमजन को पंजीयन कार्यालय जाने की बाध्यता समाप्त हो जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in/

इस क्रम में DLC दरों का Technology के माध्यम से निर्धारण किया जाकर Geo-tagging के साथ Online किया जायेगा।

साथ ही, यह तकनीक GIS के साथ नगरीय विकास कर (UD Tax) व्यवस्था में भी लागू की जायेगी।

258. कोविड–19 से प्रभावित रियल एस्टेट एवं अन्य व्यवसायों को गति प्रदान करने के लिये आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमियों की **DLC दर 10 प्रतिशत कम** करने की घोषणा करता हूँ।

साथ ही रिसोर्ट, खनन, मोबाईल टावर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस आदि की भूमियों की DLC दरों को भी तर्कसंगत किया जायेगा।

259. शहरी मध्यम वर्ग को राहत देने के लिये बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपये तक की कीमत के फ्लेट पर स्टाम्प ड्यूटी को 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिये **6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत** किया जायेगा।

260. Affordable Housing हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी EWS के लिये 1 प्रतिशत तथा LIG लिये 2 प्रतिशत है। इसे घटाकर क्रमशः 0.50 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत किया जायेगा। यह लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उपलब्ध होगा।

261. आमजन को स्टाम्प ड्यूटी में राहत देते हुए, मैं राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर

http://finance.rajasthan.gov.in/

स्टाम्प ड्यूटी, सम्पत्ति के बाजार मूल्य (DLC) के बजाय आवंटन (Allotment) राशि पर लेना प्रस्तावित करता हूँ।

262. स्थानीय निकायों से पट्टा लेने से पहले ऐसी भूमि के संबंध में, 14 जुलाई, 2014 के बाद निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों (मध्यवर्ती) पर स्टाम्प ड्यूटी भूमि के बाजार मूल्य (DLC) के स्थान पर DLC के 40 प्रतिशत पर लिया जाना प्रस्तावित है।

263. रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिये विक्रय इकरारनामों (Agreements to Sale) पर प्रदत्त स्टाम्प ड्यूटी के समायोजन की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जायेगा।

264. पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग पर स्टाम्प ड्यूटी की रियायत माता–पिता, भाई–बहन, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री, बुआ–भतीजा, मामा–भांजा, मामा–भांजी तथा पति–पत्नि को ही उपलब्ध है। यह लाभ अविभाजित पैतृक सम्पत्ति के सभी सह–हिस्सेदारों और उनके उत्तराधिकारियों को भी दिया जाना प्रस्तावित है।

265. पुत्रियों के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 1 प्रतिशत व अधिकतम 1 लाख रुपये है जबकि पुत्रवधुओं के लिये स्टाम्प ड्यूटी 2.5 प्रतिशत है। पुत्रवधुओं को भी पुत्रियों के समान ही रियायत दिया जाना प्रस्तावित है।

साथ ही मैं **पोता–पोती, दोहिता–दोहिती के पक्ष में** गिफ्ट डीड को स्टाम्प ड्यूटी से पूर्णरूप से मुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in/

266. प्रतिभूति बंध-पत्र (Security Bond) पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये करना प्रस्तावित है। साथ ही ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टाम्प ड्यूटी के पुराने मामलों का निपटारा करने के लिये 1 अप्रेल, 2021 से एक नई Amnesty Scheme लायी जायेगी।

267. स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं ई-पंजीयन योजना के अनुरूप करने तथा स्टाम्प वेन्डर्स की सहभागिता बढ़ाने के लिये ई-स्टाम्प पर कमीशन को बढ़ाकर भौतिक स्टाम्प पत्रों के समान किया जायेगा।

268. प्रदेश में Public-Private Partnership परियोजनाओं में निवेश प्रोत्साहन के लिये Concession Agreement की परिभाषा को संशोधित कर इसकी परिधि में केन्द्र सरकार एवं उसके उपक्रमों एवं निकायों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

269. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी आदि से LLP (Limited Liability Partnership) में संपरिवर्तन के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी 0.50 प्रतिशत देय है। LLP से प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में संपरिवर्तन के दस्तावेजों पर भी समान स्टाम्प ड्यूटी ली जायेगी।

270. कोविड–19 के दौरान 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर देय Land Tax पर ब्याज एवं शास्ति में 1 मई, 2020 से 30 जून, 2020 की अवधि में छूट दी गई थी। इस रियायत को 30 जून, 2021 तक बढ़ाना प्रस्तावित करता हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in/

उद्योग विभाग :

271. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2014 (RIPS-2014) में 4,900 इकाइयों द्वारा 1.16 लाख करोड़ रुपये का निवेश तथा 1.96 लाख रोजगार सृजन हुआ था। जबकि एक वर्ष की न्यून अवधि में RIPS-2019 में अब तक 2,789 ईकाइयों द्वारा 0.69 लाख करोड़ रुपये का निवेश तथा 69,750 लोगों को रोजगार मिला है।

यह नई RIPS-2019 योजना राज्य के निवेशकों के लिये वरदान साबित हो रही है, इसे और प्रभावी एवं व्यापक बनाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत –

(i) RIPS-2019 में **"डॉ बी.आर. अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज"** के तहत अतिरिक्त लाभ दिये जायेंगे –

- Investment Limit 50 प्रतिशत घटाई जायेगी;
- अधिकतम अनुदान को EFCI (Eligible Fixed Capital Investment) के 150 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत किया जायेगा;
- 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक अथवा 15 प्रतिशत Capital Subsidy अधिकतम 2 करोड़ रुपये दी जायेगी; एवं
- SC/ST उद्यमियों के लिये विशेष Incubation Centres चलाये जायेंगे।

http://finance.rajasthan.gov.in/

इस पैकेज हेतु SC/ST उद्यमियों का Proprietorship Firm में शत् प्रतिशत तथा Partnership Firm एवं Private Limited Company में न्यूनतम 51 प्रतिशत पूँजी निवेश होना आवश्यक है।

(ii) Most Backward, Backward एवं Tribal Areas में निवेश करने पर RIPS-2019 के तहत सभी को "डॉ बी.आर. अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज" की भाँति लाभ दिये जायेंगे।

(iii) Gems & Jewellery राजस्थान का परम्परागत उद्योग है एवं इसमें रोजगार की विपुल सम्भावना है। अतः इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये राज्य में 'Gems & Jewellery Bourse' को RIPS-2019 के सेवा क्षेत्र में जोड़ने की घोषणा करता हूँ।

(iv) कोविड–19 के दौरान राज्य में Healthcare Sector में सराहनीय कार्य हुआ है। साथ ही वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में Healthcare Sector में निवेश के साथ–साथ Active Pharmaceutical Ingredients (API) उद्योग लगने की भी आवश्यकता एवं सम्भावना है। अतः Healthcare Sector एवं API को RIPS-2019 के Thrust Sector में जोड़कर प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(v) रिसोर्टस एवं एम्यूजमेन्ट पार्क (Resorts and Amusement Park) के लिए RIPS-2019 के अन्तर्गत न्यूनतम भूमि की शर्त

http://finance.rajasthan.gov.in/

क्रमशः 5 एकड़ एवं 10 एकड़ है, जिसे कम करते हुये Building Bye-Laws के अनुरूप रिसोर्ट के लिये 2 एकड़ एवं Amusement Park के लिये 2.5 एकड़ करने की घोषणा करता हूँ।

(vi) सोलर एवं विंड ऊर्जा की राज्य में विपुल सम्भावना है। इन सेक्टर्स की Equipment manufacturing ईकाइयों को RIPS-2019 के अन्तर्गत रोजगार अनुदान 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।

(vii) RIPS-2019 के क्लाज 11.4 (ii) में Plant & Machinery and Equipments के साथ-साथ Development of Infrastructure जोड़कर उस पर भी ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

(viii) राज्य में **e-Vehicles** को प्रोत्साहन देने के लिये –

- e-Charging and Swapping Stations को RIPS-2019 के Service Sector में जोड़ कर **Thrust Sector** के लाभ दिये जायेगें।
- विशेष रूप से e-Vehicles उत्पादन के लिये निवेश सीमा को 50 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ रुपये किया जायेगा।

272. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2014 की कार्य अवधि (Operative Period) 31 मार्च, 2021 तक ही है। कुछ ईकाइयाँ योजना अवधि में उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर पायी है। जिन्हें लाभान्वित करने के लिये RIPS-2014 की कार्यावधि को दो वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक किये जाने की घोषणा करता हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in/

परिवहन विभाग :

273. वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से **Transport Amnesty Scheme-2021** लागू किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2021 तक होगी, इसमें –

(i) मोटर वाहनों पर 31 जनवरी, 2021 तक के बकाया कर पर ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जायेगा।

(ii) ई–रवन्ना के माध्यम से 31 जनवरी, 2021 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि (Compounding Fee) पर 75 प्रतिशत से लेकर लगभग 95 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी।

(iii) बकाया राशि जमा होने पर, नष्ट हो चुके वाहनों का नाशन तिथि के बाद का कर, ब्याज एवं शास्ति माफ किया जाना प्रस्तावित है।

274. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वर्तमान प्रशमन राशि (Compounding Fee) को कतिपय Traffic Offences के लिये कम किया जाना प्रस्तावित है, जैसे –

- ओवरलोडिंग – 20 हजार से 5 हजार रुपये
- वजन कराने से इंकार – 40 हजार से 10 हजार रुपये।

सीट बेल्ट उल्लंघन एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामलों में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in/

इस प्रकार प्रशमन राशि (Compounding Fee) कम किये जाने का लाभ पूर्व में कारित Traffic Offences के संबंध में भी प्राप्त होगा।

275. स्टेज कैरिज के अन्य श्रेणी मार्गों के लिये देय Motor Vehicle Tax की दूरी आधारित (150 कि.मी., 300 कि.मी. तथा 300 कि.मी. से अधिक) प्रतिदिन संचालन की तीन श्रेणियां है। इसे युक्तिसंगत बनाने तथा Transporters को राहत देते हुये न्यूनतम 100 कि.मी. के बाद 50–50 कि.मी. के 8 स्लेब बनाकर प्रोग्रेसिव Motor Vehicle Tax लगाया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

276. डम्पर श्रेणी के भार वाहनों पर देय Motor Vehicle Tax को 1800 रुपये प्रति टन या इसके भाग के लिये अधिकतम 35 हजार रुपये वार्षिक प्रति वाहन निर्धारित किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

277. 32 से अधिक सीट वाली ऑल राजस्थान संविदा परमिटधारी बसों के लिये देय मासिक Motor Vehicle Tax को 775 रुपये प्रतिसीट प्रतिमाह से घटाकर 700 रुपये (अधिकतम 40 हजार रुपये) किया जाना प्रस्तावित है।

एक नई पहल करते हुए इसी श्रेणी की बसों के लिये संभागीय क्षेत्र के परमिट लेने पर Motor Vehicle Tax में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

278. मैंने वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 के बजट में ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी के मार्गों पर नई पंजीकृत स्टेज कैरिज बसों को विशेष पथ

http://finance.rajasthan.gov.in/

कर में शत–प्रतिशत छूट दी थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन सम्भव हुआ एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई थी। उसी के अनुरूप, इन मार्गों पर नई बस का संचालन करने पर मैं फिर से **Motor Vehicle Tax में तीन वर्ष तक शत–प्रतिशत छूट** दिये जाने की घोषणा करता हूँ।

279. स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज की नयी पंजीकृत होने वाली बसों का परमिट प्राप्त करने के लिये पंजीयन तिथि से 15 दिवस तक Motor Vehicle Tax की देय राशि में पूर्ण छूट देना प्रस्तावित करता हूँ।

280. वाहन का उपयोग नहीं होने से, पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) सरेंडर करने की न्यूनतम अवधि, स्टेज कैरेज के अलावा अन्य वाहनों हेतु एक कलेण्डर माह है। इसे व्यवहारिक बनाते हुए 30 दिवस किया जायेगा। सभी श्रेणी के वाहनों की RC सरेंडर करने की अधिकतम अवधि 90 दिवस निर्धारित की जायेगी।

281. कोविड–19 के कारण बसे संचालित नहीं होने से Tour Operators को हानि हुई है। अतः Indian Association of Tour Operators (IATO) और Rajasthan Association of Tour Operators (RATO) से मान्यता प्राप्त Tour Operators द्वारा संचालित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक Monthly Motor Vehicle Tax में पूर्ण छूट देने की घोषणा करता हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in/

282. सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वाहनों की ओवरलोडिंग से जनहानि के साथ वायु प्रदूषण भी होता है। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये परिवहन विभाग के उड़नदस्तों (Flying Squads) को Portable Weighing Machine उपलब्ध कराई जायेगी।

283. कोविड–19 से प्रभावित मध्यमवर्ग को राहत देने के लिये पुराने वाहनों (Used Vehicles) के स्वामित्व हस्तान्तरण पर देय अतिरिक्त कर (Additional One Time Tax) में दुपहिया वाहन एवं कारों के लिये 31 मार्च, 2022 तक 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा करता हूँ।

284. मैंने 2019–20 के बजट में 'इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति' लाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार सभी प्रकार के **e-Vehicles के संचालन को प्रोत्साहन** देने के लिये प्रतिबद्ध है। इसके लिये 31 मार्च, 2022 तक –

(i) इन वाहनों के क्रेताओं को SGST का पुनर्भरण किया जाएगा।

(ii) e-Vehicles राज्य में Motor Vehicle Tax से मुक्त है। इन वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु अलग–अलग श्रेणी अनुसार एकमुश्त अनुदान देने की घोषणा करता हूँ –

- Two Wheelers : बैटरी क्षमतानुसार 5 हजार से 10 हजार रुपये प्रति वाहन
- Three Wheelers : बैटरी क्षमतानुसार 10 हजार से 20 हजार रुपये प्रति वाहन

http://finance.rajasthan.gov.in/

खान एवं भूविज्ञान विभाग :

285. प्रदेश में अप्रधान खनिजों (Minor Minerals) की खोज की गति बढ़ाने हेतु निजी उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। इस दृष्टि से उद्यमियों को Non-exclusive Prospecting Licences (NEPL) दिया जाना प्रस्तावित है। NEPL धारक द्वारा बनाई गई पूर्वेक्षण रिपोर्ट (Prospecting Report) के आधार पर विभाग द्वारा नीलामी करके खनन पट्टे दिये जायेंगे।

286. निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

आबकारी विभाग :

287. हथकढ़ शराब के प्रचलन तथा पड़ौसी राज्यों से आने वाली अवैध शराब को रोकने के लिये सीमावर्ती जिलों में आबकारी थानों व चौकियों का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

288. प्रदेश में हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों को इस कार्य से विमुख करके उनका पुर्नवास करने हेतु हमने वर्ष 2009 में "नवजीवन योजना" प्रारम्भ की थी। इसके अच्छे परिणाम आ रहे है।

इसे व्यापक बनाते हुये ऐसे परिवारों की नशामुक्ति, पुनर्वास, उनके बच्चों की शिक्षा, तथा उन्हें रचनात्मक कार्यों के लिये प्रेरित करने हेतु एक विशेष कार्ययोजना बनाई जायेगी। इस हेतु मैं, 100 करोड़ रुपये से "**नवजीवन कोष**" के गठन की घोषणा करता हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in/

289. राज्य में शराबबंदी की मांग से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं पर पूर्व विधायक श्री गुरूशरण छाबड़ा के साथ 8 सितम्बर, 2013 को हुये समझौते की पालना के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

स्वर्गीय छाबड़ा जी की याद में नैतिक, धार्मिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से मद्यसंयम हेतु **"स्व. श्री गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान"** चलाया जायेगा। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

कृषि विपणन :

290. हमारी सरकार किसानों की सदैव हितैषी रही है। इस दृष्टि से, मैं 1 मार्च, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिये, वर्तमान में देय **मण्डी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं आढ़त** के संबंध में घोषणा करता हूँ कि –

(i) गुड, चीनी, इमारती लकड़ी एवं देशी घी पर मण्डी शुल्क 1.60 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत,

(ii) अन्य कृषि जिन्सों यथा जौ, उड़द, मूंग आदि पर मण्डी शुल्क 1.60 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत तथा तिलहन पर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत,

(iii) कृषक कल्याण शुल्क को तिलहन, गुड, चीनी, इमारती लकड़ी, देशी घी एवं अन्य कृषि जिन्सों यथा जौ, उड़द, मूंग आदि पर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत एवं फल–सब्जी पर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत, तथा

http://finance.rajasthan.gov.in/

(iv) फल–सब्जी पर आढ़त 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत एवं तिलहन, गुड, चीनी, इमारती लकड़ी, देशी घी व अन्य कृषि जिन्सों पर आढ़त 2.25 प्रतिशत से घटाकर 1.75 प्रतिशत की जायेगी।

उपनिवेशन विभाग :

291. हमारी सरकार किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। उपनिवेशन क्षेत्र (Colonisation Area) के समस्त श्रेणी के काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की बकाया किश्तों पर 1 अप्रेल, 2021 से 30 जून, 2021 की अवधि में –

(i) 30 जून, 2021 तक की शेष रही बकाया किश्ते एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत् प्रतिशत छूट, एवं

(ii) आवंटन की समस्त बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 10 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज में शत् प्रतिशत छूट देना प्रस्तावित करता हूँ।

वाणिज्यिक कर विभाग :

292. त्रुटिपूर्ण Declaration Forms को संशोधित करने तथा बकाया Declaration Forms को प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त होने के कारण व्यवहारियों को समस्या आ रही है। अतः इनकी अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

साथ ही VAT 40E विवरणी पेश करने की समयावधि को 30 जून, 2021 तक बढ़ाकर ठेकेदारों को राहत देना प्रस्तावित करता हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in/

293. वर्तमान में राज्य में 50 हजार रुपये व अधिक के माल के परिवहन हेतु **e-way bill** जारी करना अनिवार्य है। छोटे व्यापारियों को हो रही असुविधा को ध्यान रखते हुये e-way bill जारी करने की सीमा को बढ़ाकर **1 लाख रुपये** किये जाने की घोषणा करता हूँ।

294. GST लागू होने के बाद Repealed Acts यथा Sales Tax, VAT, Entry Tax, Entertainment Tax एवं Luxury Tax से संबंधित मांग, विभाग के साथ Disputes एवं न्यायालयों में अनेक प्रकरण लम्बित होने से व्यवहारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि, Covid-19 से उद्योग एवं व्यापार जगत पर पड़े विपरीत प्रभाव के मध्यनजर एक सरल, व्यापक एवं एकीकृत **Amnesty Scheme-2021** तुरन्त प्रभाव से लागू की जायेगी। जिसमें **पहली बार मूल Tax में भी छूट** देना प्रस्तावित है।

इसमें ज्यादा से ज्यादा व्यवहारियों को लाभ देने हेतु कर निर्धारण के ex-party आदेशों को Re-open करने एवं Rectification हेतु आवेदन करने की अवधि को बढ़ाया जायेगा।

इस स्कीम के अन्तर्गत कोई **Monetary Ceiling नहीं होगी**। इसमें ब्याज एवं शास्ति में पूर्ण छूट के साथ मूल Tax में भी श्रेणी वाईज छूट होगी। जो पहले विकल्प देगा उसे अधिक छूट मिलेगी। यह स्कीम पूर्णतया **Online एवं Faceless** होगी तथा 30 सितम्बर, 2021 तक प्रभावी रहेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in/

295. मुझे एहसास है कि कोविड के कारण सभी वर्गों को Hardship हुई है। अतः **उपरोक्त कर प्रस्तावों में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है, बल्की इस करोना–काल में लगभग 910 करोड़ रुपये से अधिक की राहत** प्रदान की जा रही है।

296. इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

297. इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये तथा अन्य प्रयोजनार्थ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

http://finance.rajasthan.gov.in/

<u>संशोधित अनुमान वर्ष 2020–21 एवं बजट अनुमान वर्ष 2021–22 :</u>

298. अब मैं, वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है–

1.	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**1 लाख 47 हजार 980 करोड़ 19 लाख रुपये**
2.	**राजस्व व्यय**	**1 लाख 89 हजार 701 करोड़ 80 लाख रुपये**
3.	**राजस्व घाटा**	**41 हजार 721 करोड़ 61 लाख रुपये**
4.	**पूंजी खाते में प्राप्तियाँ**	**1 लाख 172 करोड़ 39 लाख रुपये**
5.	**पूंजी खाते में व्यय**	**58 हजार 360 करोड़ 82 लाख रुपये**
6.	**पूंजी खाते में आधिक्य**	**41 हजार 811 करोड़ 57 लाख रुपये**

299. वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

1.	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**1 लाख 84 हजार 330 करोड़ 13 लाख रुपये**
2.	**राजस्व व्यय**	**2 लाख 8 हजार 80 करोड़ 17 लाख रुपये**
3.	**राजस्व घाटा**	**23 हजार 750 करोड़ 4 लाख रुपये**

http://finance.rajasthan.gov.in/

4.	पूंजी खाते में प्राप्तियाँ	66 हजार 501 करोड़ 90 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	42 हजार 667 करोड़ 16 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य	23 हजार 834 करोड़ 74 लाख रुपये

राजस्व घाटा (REVENUE DEFICIT) :

300. कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था में आयी गिरावट को देखते हुए राजस्व प्राप्तियों में आगामी वर्ष में भी पर्याप्त वृद्धि संभावित नहीं है। अतः सरकार के कार्यकलापों के संचालन व लोक कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करने की दृष्टि से वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों में राशि रुपये 23 हजार 750 करोड़ 4 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।

राजकोषीय घाटा (FISCAL DEFICIT) :

301. पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसार वर्ष 2021–22 के लिए शुद्ध ऋण सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) की 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। इसी सीमा में वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राशि रुपये 47 हजार 652 करोड़ 77 लाख अनुमानित है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.98 प्रतिशत है।

http://finance.rajasthan.gov.in/

302. मैं सदन का ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा देय केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में की गई कटौती की ओर दिलाना चाहूँगा। वर्ष 2020–21 हेतु प्रदेश को प्राप्त होने वाली राशि में केन्द्र द्वारा रुपये 14 हजार करोड़ 94 लाख की कमी की गयी। साथ ही, आगामी वर्ष हेतु भी मात्र रुपये 40 हजार 106 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2020–21 के प्रारंभिक अनुमान से भी रुपये 6 हजार 779 करोड़ 36 लाख कम है। हमारे द्वारा इस कमी की पूर्ति करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमत अतिरिक्त ऋण सीमा का उपयोग करने के साथ–साथ वित्तीय प्रबंधन पर फोकस किया गया।

303. हमारे द्वारा कुशल वित्तीय प्रबंधन किया जाकर प्रदेश के सभी तबकों के कल्याण का ध्यान रखते हुए तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की कार्य योजना बनाते हुए, एक दूरगामी विजन के साथ बजट तैयार किया गया है।

304. मैं, वर्ष 2021–22 का वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही, FRBM Act की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले 'मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण' (Medium Term Fiscal Policy Statement) और 'राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण' (Fiscal Policy Strategy Statement) भी सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

305. वर्ष 2021–22 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट–पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

http://finance.rajasthan.gov.in/

306. मुझे विश्वास है कि विषम परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए हम, पक्ष व प्रतिपक्ष, कंधे से कंधा मिलाकर विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे—

'निगाहों में मंजिल थी
गिरे और गिरकर संभलते रहे,
हवाओं ने बहुत कोशिश की
मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे।'

इन्हीं भावनाओं के साथ मैं, बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

:: जयहिन्द ::

http://finance.rajasthan.gov.in/